5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Okay, thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAM (PROF. P.J. KURIEN) : No, no, nothing. ...*(Interruptions)*... No, no, please. ...*(Interruptions)*...Take your seats. ...*(Interruptions)*... No, take your seats. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I shall now put the Resolution moved by Shri E. Ahammed. The question is:

That this House in the Recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to the nomination by the Chairman of six Members from the Rajya Sabha to the Parliamentary Committee to review the Rate of Dividend which is at present payable by the Indian Railways to the General Revenues as well as other ancillary matters in connection with Railway Finance vis-a-vis General Finance and to make recommendations thereon.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): I shall now put the motion moved by Kumari Mamata Banerjee to vote. The question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

KUMARI MAMATA BANERJEE: Sir, I move: That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up the National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2009.

The National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C.P. JOSHI): Sir, I move:

That the Bill to amend the National Rural Employment Guarantee Act, 2005, as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

The question was proposed.

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार) : महोदय, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह एक छोटा-सा बिल है। इसमें थोड़ा सा नाम का परिवर्तन किया गया है। "राष्ट्रीय" के बदले "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" शब्द इसमें रखा गया है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि नाम में क्या रखा है? What is there in the name? तो दूसरे ने कहा कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है। तो महात्मा गांधी के नाम पर इस अधिनियम को रखा गया है। महात्मा गांधी इस देश में ही पूज्य नहीं थे ...**(व्यवधान)**...

(उपसभाध्यक्ष **(श्री तारिक अनवर)** पीठासीन हुए)

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : सर, देखिए ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : शांति बनाए रखिए।

श्रीमती माया सिंह : सर, यहां तो इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है और उन लोगों का कुछ ध्यान ही नहीं है कि कौन बोल रहा है, वे सब आने-जाने में लगे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR): Order please. ...*(Interruptions)*...

डा. सी.पी. ठाकुर : दुनिया के लोगों ने भी महात्मा गांधी को इस शताब्दी का सबसे बड़ा आदमी कहा। अलबर्ट आइंसटीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी यह कभी समझ नहीं पाएगी कि हाड़-मांस का बना हुआ आदमी इतना काम कर सकता है?

एक बार मैं अमरीका के अटलांटा में घूम रहा था। वहां दो मूर्तियां लगी हुई थीं, एक मार्टिन लूथर किंग की और उसके बगल में महात्मा गांधी की। वे दोनों एक ही तरह की मूर्तियां थीं। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम लोगों को महात्मा गांधी के प्रति क्या भावना है? उसने कहा कि मैं मानता हूं कि वे इस शताब्दी के सबसे बड़े आदमी हैं। क्योंकि उनका तरीका अपनाकर कितने ही देश स्वतंत्र हो गये। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर वैसे आदमी के नाम पर आपने इस बिल का नाम रखा है, तो आपको कुछ तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बिल के साथ कम से कम भ्रष्टाचार न हो। इतना आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि अगर आप इसमें महात्मा गांधी का नाम दे रहे हैं तो इसमें भ्रष्टाचार न हो। अभी इस बिल को आये हुए जुमा-जुमा आठ दिन हुए हैं, अभी तो केवल पांच वर्ष ही हुए हैं और इन पांच वर्षों में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि Comptroller and Auditor General of India ने एक बहुत बड़ी फेहरिस्त लगायी है, जिसमें कहा गया है कि इसकी हर चीज में भ्रष्टाचार है। Selection में corruption है, पैसा देने में corruption है, यहां तक कि बैंक में खाता खोलने में भी corruption है।

इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि NREGA में भी corruption है, उन्होंने भी कह दिया। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया, तो एक तरह से इस पर मुहर लग गई, final judgment है, अब तो पार्लियामेंट ही उसको चेंज करेगी, नहीं तो वह final हो गया। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि यह गरीबी उन्मूलन नहीं, गरीबी को बढ़ाने वाली स्कीम है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि विशेष प्रयास करके यह देखा जाए कि इसमें कुछ corruption न हो, यह शुद्ध हो। मै गांव से आता हूं, मैंने गांव की गरीबी को भी देखा है, मैं

अभी भी देख रहा हूं कि गांवों की गरीबी और गरीबों की हालत में बहुत सुधार नहीं हुआ है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस योजना में corruption हुआ, यह बात ठीक है, बहुत से लोगों ने इस पर चर्चा की है, लेकिन इसमें जो methods हैं, वे ठीक नहीं हैं। इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में से एक व्यक्ति को 100 दिनों का काम दिया जाता है। शहर की जो पढ़ी-लिखी family है, उसका परिवार तो individualistic हो जाता है - एक बेटा है, वह पढ़-लिखकर अमरीका चला गया, वहां शादी कर ली, एक लड़की है, वह इंग्लैंड में गई, उसने वहां किसी से शादी कर ली, लेकिन जो गांव का गरीब परिवार है, उसके यहां तो सभी लोग हैं - बाप भी है, मां है, बाबा है, बेटा है, पोता है, ये सब एक ही घर में हैं। इसलिए अगर इस परिवार के एक आदमी को काम दीजिएगा, तो उससे उसकी गरीबी के उन्मूलन की दिशा में कुछ काम नहीं होगा। इसलिए इस शर्त को हटा लेना चाहिए और यदि उसके परिवार में पांच आदमी काम करने वाले हैं, तो पांचों को काम दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह का कुछ परिवर्तन इस बिल में करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, दूसरा विषय यह है कि कौन-कौन से काम इसमें होने चाहिए। कामों का selection इस तरह होना चाहिए ताकि इसमें कुछ permanency रहे। अगर घपले भरा काम होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा और गरीबी भी दूर नहीं होगी। इसलिए कौन-कौन से काम इसके अंतर्गत लिए जाएं, इनका selection भी होना चाहिए। बहुत से काम इस स्कीम के अंतर्गत हो सकते हैं, जल के क्षेत्र में water resources के क्षेत्र में बहुत से काम हो सकते हैं। गांवों के जितने नदी, नाले, पोखर वगैरह थे, वे सब समाप्त हो गए हैं, उनको फिर से बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से global warming हो रही है, उसको रोकने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। इसलिए इन कामों को करना चाहिए और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो बहुत सी नदियां हैं, उनका भी शुद्धिकरण करना चाहिए। मैं दो नदियों का उदाहरण दूंगा - गंगा नदी है, जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, वह कितनी गंदी होती जा रही है, हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह यमुना नदी है, गंगा नदी को तो कुछ ही लोग देखते होंगे, क्योंकि वह यहां से दूर है, लेकिन यमुना नदी को तो सभी लोग देखते हैं, यहां बगल में है। मैं एक बार जब स्वास्थ्य मंत्री था, तो एक आदमी दौड़ा-दौड़ा आया कि इस व्यक्ति ने यमुना नदी में स्नान किया है, उससे उसको इतनी जबर्दस्त एलर्जी हो गई कि लगता था कि वह मर जाएगा। मैंने उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया, तब जाकर उसकी जान बची। आज यमुना की यह हालत है।

उपसभाध्यक्ष जी, जब शाहजहां कैद थे, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हमें यमुना नदी का पानी पीने दीजिए, इस पर औरंगजेब ने अपने advisors से सलाह की कि इनको यमुना का पानी दिया जाए या न दिया जाए। इस पर सलाहकारों ने कहा कि यमुना का पानी पीने से इनकी आयु बढ़ जायेगी, इसलिए यमुना का पानी इन्हें पीने के लिए न दिया जाए। इस पर जब शाहजहां ने एक शेर लिखा - "आफरी बाप हिंदु हुआ बरद आब, ऐ पी सर तू अजब मुसलमानी, जिन्दा बाप दर्शानी।" यानी ये हिंदू कैसे हैं, जो मरने के बाद भी बाप को पानी देते हैं, तुम कैसे मुसलमान हो, जो जिंदा मुसलमान को पानी नहीं दे रहे हो? सोचिए कि उस वक्त कैसी यमुना रही होगी, कितना अमृत जैसा उसका पानी रहा होगा, आज कैसा हो गया है। इसलिए हमारे यहां जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना

समेत जो दूसरी नदियां हैं, उनका निर्मलीकरण करने के लिए जो योजना है, हम उसको भी इसमें जोड़ सकते हैं, शुरुआत तो कर ही सकते है। यदि यह विभाग, दूसरे विभागों के साथ मिलकर काम करेगा, तभी यह हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पचास दिन का पैसा मिल जाता है, तो क्या उससे गरीबी दूर हो जाएग? उससे गरीबी समाप्त नहीं होगी। उसके लिए तय करना चाहिए कि सरकार के जितने एंटी पॉवरटी प्रोग्राम्स हैं, उनसे जोड़ना चाहिए। मै तो यह कहूंगा कि एक घर में जितने आदमी काम करना चाहे, उनको काम देना चाहिए। एक आदमी अगर पचास दिन काम करता है, तो उसको पांच हजार रुपए हो जाता है और अगर तीन आदमी काम करता है कि उसको पन्द्रह हजार रुपए जमा हो जाता है। अगर वह उससे कुछ बचा कर उससे गाय खरीद ले या बकरी खरीद ले, ऐसा दूसरी योजनाओं से तय करके किया जा सकता है, तब गरीबी उन्मूलन की दिशा में कुछ कारगर कदम होगा।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम लोकपाल बहाल करेंगे। यह तो ठीक है, लेकिन जब तक लोकपाल को कुछ पावर नही मिलेगा, तो लोकपाल बहाल करने से क्या फायदा होगा? अगर आप लोकपाल बहाल करते हैं, तो उसको कुछ पावर दीजिए, ताकि वह सजा दे सके और भ्रष्टाचार को रोक सके। मंत्री जी ने कहा है कि सड़क बनाने में भी "प्रधान मंत्री सड़क योजना" वगैरह का जो कच्चा काम होगा, उसमें आदमी को involve करना चाहिए। इस योजना से भी काम हो सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई गृहस्थ है और वह काम करना चाहता है, तो उसको भी इसमें काम दिया जा सकता है। अब तो सड़क बनाने में बड़ी-बड़ी मशीनें लगती हैं, इसलिए उसमें गरीब को कुछ काम नहीं मिलता है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो सड़कें बन रही हैं, उनमें गरीबों को भी जोड़ा जा सके। इसमें शुरू में जो मिट्टी का काम होता है, उस काम में गरीबों को काम दिया जाएगा, तो इस योजना से गरीबी दूर होगी और इससे कुछ फायदा भी होगा। जैसे बिहार प्रांत है, वहां सड़क में केन्द्र सरकार पैसा ही नही देती है। केन्द्रीय सरकार कहती है कि बिहार में तो दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वहां के जितनी भी स्कीम्स हैं, वे सारे यहां पड़े हुए हैं, तो सड़क कैसे बनेगी? यह भेदभाव नही करना चाहिए कि कहां पर किसी पार्टी की सरकार है। देश एक है, इसलिए समग्र देश की बात होनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि कैसे सभी जगह की गरीबी दूर हो। मै इसमें देख रहा हूं कि जो राज्य धनी है, वहां पर कम काम हुए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा। अगर वहां के लेबरर को दूसरी जगह 150 रुपए मिलेंगे, तो एक सौ रुपए में कौन काम करने जाएगा? बिहार और आन्ध्र प्रदेश में ज्यादा काम हुआ है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि कही पर 65 रुपए मिलता है, कही पर 80 रुपए मिलता है, कही 90 रुपए मिलता है, तो कही 100 रुपए मिलता है। इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि नरेगा के तहत कहीं भी काम करेगा, उसमें मिनिमम एक सौ रुपए हर जगह मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव नही होना चाहिए। सभी प्रांतों में एक समान मिलना चाहिए, चाहे वह नागालैंड में काम हो या पंजाब, हरियाणा में काम हो या केरल में काम हो। इससे सबको सुविधा होगी। गरीबी उन्मूलन के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें अगर भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए और काम का चयन ठीक से हो तथा वर्क का कुछ परमानेंट क्रीएशन हो तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवराज वी. पाटिल (महाराष्ट्र) : श्रीमन्, यहां के बेरोजगारों को, देहात में रहने वाले बेरोजगारों को काम देने के लिए यह कानून बनाया गया है उसके नाम में तब्दीली लाने के लिए यह बिल लाया गया है। महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है। यह बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं मंत्रालय को और सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारा दायित्व होगा कि हम हर आंख के आंसू पोंछ डालें। यह काम बहुत बड़ा है। यह काम आसानी से नहीं हो सकता है। हम जो काम इस देश में कानून के जरिए कर रहे हैं, उसकी मदद से यह काम आसानी से किया जा सकता है। हम इतना जरूर कह सकते हैं। इस कानून को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि अगर कोई देहात में रहता है, उसकी जमीन नहीं है, उसकी दुकान नहीं है, उसका कोई उद्योग नहीं है, वह शरीर से काम करने के लिए तैयार है, वह चोरी नहीं करना चाहता है, वह आत्महत्या नहीं करना चाहता है, तो उसको काम देने की जिम्मेदारी पूरे समाज की और समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की होती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही यह कानून लाया गया है और इस कानून को इसी दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं।

महोदय, मैंने आज बोलने के लिए जब समय मांगा, तो उसका एक उद्देश्य यह है कि 1974 में महाराष्ट्र में इस प्रकार की एक योजना बनाई गई थी। उस समय वह योजना वहां के मंत्री महोदय ने नहीं बनाई थी, बल्कि वहां के अपर हाउस के जो चेयरमैन थे, पागे साहब, उन्होंने बनाई थी और उस योजना को "Employment Guarantee Scheme" का नाम उन्होंने दिया था, "रोजगारी हमी योजना" उसको कहा गया। जब उस काम को हाथ में लिया गया, तो बहुत ओर से बहुत सारे विचार प्रकट हुए। किसी ने कहा कि जो प्लानिंग से नहीं किया जा सकता, वह आप इस स्कीम से करना चाह रहे हैं। किसी ने कहा कि इतने पैसे कहां से लाओगे? कुछ लोगों ने कहा कि इस पैसे में करप्शन बहुत होगा, इसलिए एक प्रकार से यह पैसा रास्ते पर फेंक देने जैसी बात हो जाएगी, इसलिए यह कानून नहीं बनना चाहिए। उस समय जो ये सारी कंप्लेंट्स आई थीं, उनको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का एक सदस्य मैं भी था। वहां पर क्या चर्चा हुई, किस प्रकार से चर्चा हुई और उसके बाद क्या हुआ, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वह स्कीम 1974 में चालू हुई और 1980 तक मैं वहां था, इसलिए उसका क्या अनुभव है, वह हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब यह स्कीम बनी और वहां लागू की गई, तो हर तरफ से उसके खिलाफ कंप्लेंट्स आती थी। अभी यह कहा जाता था कि हाथ के अंगूठे का निशान लगवाए जा रहे हैं, पैर के अंगूठे के निशान लगवाए जा रहे हैं और लोग पैसा ले रहे हैं। कभी यह कहा जाता था कि पैसा देते समय लोगों से पैसे वसूल करने का काम किया जा रहा है। यह कहा जाता था कि काम ही नहीं हो रहा है, मगर पैसे उठाए जा रहे हैं और इस प्रकार से बहुत सारी कंप्लेंट्स वहां पर आती थी। उनको दूर करने के लिए उस वक्त की सरकार ने और उस वक्त के Legislature ने कुछ steps उठाए थे। एक step तो यह था कि अगर पैसा दिया जा रहा है, तो कितना काम हो रहा है, इसको ध्यान में रखकर भी दिया जा सकता है। यह कहा गया कि 10/10 का एक गड्ढा तैयार करना है। उसके लिए अगर विचार-विनिमय होता है और अगर उसके रोज़ के पचास रुपए होते हैं, तो दो सौ रुपए उसको दिए जा सकते हैं। तो काम पर पैसा दिया गया, रोज़गार पर नहीं। रोज़ी के नाम पर नहीं, पर काम पर पैसा दिया गया।

उसके बाद उसका निरीक्षण करने के लिए वहां के ज़िला परिषद् के अधिकारियों को और चुनकर आए हुए लोगों को अधिकार दिया गया। उसके बाद Legislature की एक कमेटी बनाई गई, Employment Guarantee Scheme का निरीक्षण करने के लिए कि किस प्रकार से वह स्कीम काम कर रही है और उसमें सुधार सुझाने के लिए, जिसका नाम "Employment Guarantee Scheme Committee" रखा गया। उसके जो चेयरमैन थे, उनको हर जगह जाने का अधिकार दिया गया, वहां पर देखने के बाद सूचनाएं करने का अधिकार दिया गया और कुछ मायनों में, कुछ तरीके से action लेने का भी अधिकार उनको दिया गया। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता यह स्कीम चलती रही। अब यह स्कीम जो बनाई गई है, इस स्कीम के बारे में कुछ गलतफहमियां भी हैं। वे गलतफहमियां ऐसी हैं कि मिनिस्टर साहब से यहां कहा जाता है कि इतना पैसा दिया गया, इस स्कीम के लिए 10 हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। जब पहले साल 10 हजार खर्च करोड़ रुपए नहीं हुए, तो बोले कि पैसे तो हैं, मगर काम नही हो रहा है, तो क्यों नही हो रहा है? यह स्कीम काम देने के लिए है, काम मांगने के लिए आने के बाद काम देने के लिए है।

अगर कोई काम करने के लिए तैयार है - उसको अगर काम खेती में नही मिलता है, उद्योग में नही मिलता है, दुकान पर नहीं मिलता है और वह काम करने के लिए तैयार है, वह मजबूर है, उस समय सरकार को पैसा देना है। उतना पैसा देने के बाद अगर खर्च नही होता है, इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत समझदारी से, कुछ जिलों में यह जो स्कीम लागू की गई थी, उसे सारे हिन्दुस्तान के पूरे जिलों में लागू किया गया। आज भी यहां पर जितना पैसा दिया जाने वाला है - कहते हैं कि 30 हजार, 40 हजार करोड़ रुपया दिया जाएगा - अगर 30 हजार या 40 हजार करोड़ रुपया खर्च नही हुआ तो कहेंगे कि यह स्कीम अच्छी नहीं चली। पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिए स्कीम अच्छी नही चली, ऐसा मैं नही कहूंगा। लेकिन काम मांगने के बाद किसी को काम नही मिला तो उस स्कीम में कही गलती हुई है, ऐसा मैं जरूर कहूंगा। उसे देखना जरूरी भी है। काम करने वालों को पैसा नही दिया गया तो स्कीम अच्छी तरह से नही चली, यह जरूर कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसा खर्च नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कहना उचित नही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सरकार की ओर से जांच-पड़ताल जरूर की जा सकती है। अगर 30 हजार करोड़ आप देने जा रहे हैं या करीब-करीब इतना पैसा देने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा खर्च होने वाला नही है। अगर नहीं है तो जैसे आपने आधे जिलों में यह स्कीम चालू की थी, बाद में पूरे जिलों में स्कीम चालू की, उसी प्रकार से अगर घर के एक आदमी को काम देने के लिए इस स्कीम का उपयोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इतना पैसा अगर आपके हाथ में है तो किसी घर के सभी लोग भी अगर काम पर आने लिए तैयार हो जाएं तो उनको काम देने की स्कीम लागू करनी चाहिए। क्यों नही करनी चाहिए? कौन आपके पास काम मांगने के लिए आ रहा है? जिसके पास दुकान नही है, जिसके पास खेत नही है, जिसका कोई उद्योग नही है, जो सरकारी नौकरी में नही है, जो निजी नौकरी मे नही है, जो भूखा मर रहा है, जिसके घर में बहुत सारे आदमी हैं, वहां एक ही आदमी को क्यों, सबको काम दिया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में जांच-पड़ताल जरूर की जा सकती है और उसके बाद अगर आपको लगे कि जो पैसा आपको बजट में से मिल रहा है, उस पैसे में यह काम कर सकते हैं या थोड़ा सा कम या ज्यादा होने पर काम कर सकते हैं तो उसको देखना बहुत उपयुक्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। महोदय, इस

स्कीम के बारे में मैं मंत्री महोदय से सिर्फ एक दफा मिला था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि 1974 में जिस प्रकार के आरोप इस स्कीम के खिलाफ लगाए जा रहे थे, उसी प्रकार के आरोप इस स्कीम के खिलाफ भी हो सकते हैं। वे सारे आरोप गलत हैं, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

बहुत सारे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह भी मानने के लिए तैयार हूं कि उसको बढ़ा-चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से सामने रखा जा रहा है कि यह स्कीम ही बदनाम हो जाए, यह स्कीम ही malign हो जाए। एक दफा स्कीम बदनाम हो गई - कुत्ते को मारना है तो नाम रखो और फिर उसको मार दो। इस स्कीम को खत्म करना है तो यह कहो कि ये गलतियां हैं और स्कीम को खत्म करो। अगर इस प्रकार से होगा तो यह देश के हित में नही होगा। गलतियां हो रही हैं तो उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, जो भी मार्ग हम अपना सकते हैं, अपनाना पड़ेगा। आज गलती हो रही है तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो उसका भी इलाज हमें ढूंढकर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको हमें दुरस्त करना पड़ेगा। मगर यह स्कीम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों को यह तत्व ही मान्य नहीं है - इस प्रकार से काम देना। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि काम पर आदमी आएं इसलिए आपको unemployment तो रखनी ही पड़ेगी। जब unemployment रहेगी तो लोग हमारे कारखाने में काम करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए unemployment जरूरी है, ऐसा कुछ लोग कहने वाले हैं। लेकिन उसका जीना necessary है, इसको मानकर सरकार को और समाज को काम करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। इस समय महात्मा गांधी के नाम पर जो स्कीम बनाई जा रही है, उसके संबंध में हम सोच सकते हैं। महात्मा गांधी का नाम इसे दिया गया है। वे सारे संसार का सोचते थे, हम सारे हिन्दुस्तान का सोचेंगे, सारे बेकारों का सोचेंगे, सभी घरों के बेकारों का सोचेंगे, तभी महात्मा गांधी का नाम इसे देना सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने विचारों को विराम दूंगा। जब यह स्कीम महाराष्ट्र में 1974 में बनी थी, उस वक्त मैं कभी टाइम मांगने के लिए नहीं जाता था लेकिन उस समय मैं पागे साहब के पास गया और मैंने उनको कहा कि पागे साहब, क्या मैं इस स्कीम पर बोलूं? उन्होंने कहा, क्यों नही, आप बोलो। मैंने कहा कि आप मुझे क्या सुझाते हैं, किस मुद्दे पर बोलने के लिए कहते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ गया। और मुझे बोला कि देखो, यह स्कीम हम एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से बना रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि यह Statutory scheme बननी चाहिए, कानून बनाकर यह स्कीम लानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि यह स्कीम पूरे हिन्दुस्तान में लागू होनी चाहिए।

आज खुशकिस्मती की बात है कि यह स्कीम पूरे हिन्दुस्तान में लागू हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से स्कीम आई, एक Statute बन जाएगा, एक कानून भी बन जाएगा, प्रांत का लेजिस्लेचर कानून बनाएगा या पार्लियामेंट बनाएगा, मगर वह भी पूरा नही होगा। उसके बाद जो होना है वह कांस्टीट्यूशन के अंदर इसका उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क अगर चैप्टर-3 में हमारे कांस्टीट्यूशन में आ जाएगा, तो मेरा समाधान होगा और उस समय मैं अपनी आंख शांति से बंद कर लूंगा। उन्होंने

आंख में पानी लाकर कहा। वह बात आज भी यहां पर है। हमारा जो कानून है, यह जो हमने यहां पर बनाया है इसका उल्लेख तो हमारे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में तो नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हमने हमारे कानून में लाया है। उसमें देर हो रही है, कानून बनने में देर हो रही है, संस्थाएं बनाने में देर हो रही है, मगर वह कानून आ गया है, वह आगे चलेगा, उसको चलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर राइट टू वर्क हमारे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यह जो कानून हमारे पास आ गया है, हमारा जो Directive Prinicples of State Policy के चैप्टर में जो कहा गया है, उसके मुताबिक है। उसके अंदर कहा गया है कि जिस प्रकार से यह करना है, हम कर सकेंगे, उस प्रकार से फंडामेंटल राइट हमको लोगों को देना होगा। जिस प्रकार से पैसा देना है, कितने लोग मांगने वाले हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर फंडामेंटल राइट, जितना हम दे सकते हैं, उतना हम देंगे। हम यहां पर ये सारी चीजें ध्यान में रखकर एक फेमिली में एक को और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर और साल में सौ दिन के लिए हम यह दे रहे हैं। वह Directive Principles of State Policy चैप्टर के अंदर जो कुछ भी कहा गया है, वह बिल्कुल उस तरीके से यह किया गया है और खुशी की बात है कि वह जो कहना था Directive Principles का, वह हो गया है। वह बहुत खुशी की बात है कि एक-एक कदम हम आहिस्ता-आहिस्ता से आगे जा रहे हैं। मगर उस वक्त जबकि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बन रहा था, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा था कि right to education, right to food, right to shelter और right to work भी देना चाहिए। ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। खाने का अधिकार न हो, पढ़ाई का अधिकार न हो, आरोग्य का अधिकार न हो तो किस प्रकार के राइट्स हैं। सिर्फ बोलने का अधिकार लेकर कैसे चलेगा। यह देना बहुत जरूरी है, यह तो बेसिक है, उसके बाद में दूसरे राइट्स आते हैं। उस समय लोगों ने कहा कि इतना पैसा कहां है, इतनी अन्तरणा कहां है, हम बोलेंगे तो काम चलेगा।

इसका नतीजा यह होगा कि कोर्ट के अंदर केसेज चले जाएंगे और उसकी चर्चा कोर्ट के अंदर होगी मगर उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट की जो कल्पना है, वह फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं आई और वह हमारे Directive Prinicples में आ गई है। मगर इस पर विचार पागे साहब ने किया था तथा दूसरे कुछ लोगों ने किया और हम सब लोगों ने उसके ऊपर कुछ किया। क्या फंडामेंटल राइट कंस्टीट्यूशन में लाया जा सकता है या नहीं, यह implementable होगा या नहीं, feasible होगा या नहीं, यह सवाल इसके अंदर है। मुझे आज लगता है कि यह हो सकता है। आप पूछेंगे कि कैसे हो सकता है? अगर हम दुनिया के कांस्टीट्यूशन निकाल कर देखें तो उसमें हमको पता चलेगा कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर फंडामेंटल राइट टू वर्क दिया गया है, जो कम्युनलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं या सोशलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें तो दिया गया है, मगर जो capitalist philosophy को एक्सेप्ट करते हैं उसमें भी यह दिया गया है। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि जापान के कांस्टीट्यूशन में जो कि communist philosophy और socialist philosophy को मानने वाला राष्ट्र नहीं है, एक ही आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि "The citizen shall have right and duty to work." यह बहुत अहम चीज़ है। उन्होंने सिर्फ राइट टू वर्क नहीं कहा। उन्होंने कहा है "right and duty to work."

आपको यह सुनकर अजीब लगेगा कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में या जो खुद को सोशलिस्ट कंट्रीज मानते हैं, उनके कांस्टीट्यूशन में भी जिस में right to work दिया गया है उसमें duty to work भी कहा गया है। duty to work के सिवाय right to work किसी भी कांस्टीट्यूशन में दुनिया के आज तक आया हुआ नहीं है। इसीलिए हमारे कांस्टीट्यूशन में भी हम right to work और duty to work अगर देंगे, तो यह implementable हो सकता है। यह कैसे implementable हो सकता है? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आज ही इसके ऊपर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। यह सर्वोच्च सदन है इसके सामने हम अपने विचार रख रहे हैं। आज, कल, साल में, दो साल में, पांच साल में, जब भी आवश्यक हो, यह सोचकर, अगर आपको लगता है कि यह होना चाहिए, तो इसको करना चाहिए। Duty to work कांस्टीट्यूशन मे देने की वजह से हमारा जो duty का चैप्टर है, वह भी स्ट्रैंग्थन हो जाएगा। हमारा right का जो चैप्टर है, वह भी स्ट्रैंग्थन हो जाएगा और duty to work देने से क्या होगा? एक अगर पीएचडी है, वह प्रोफेसर बनना चाहता है, वह काम मांगता है, तो शायद सरकार उसको प्रोफेसर नही बना सकती है। मगर उसमें duty to work दिया गया है, तो सरकार कहेगी कि आप एक क्लर्क का काम कीजिए, आपको जीने के लिए जितना जरूरी है, उतना जरूर देंगे, हम उसको डिनाइ नही करेंगे। जीने के लिए उसको काम देने के बाद, हर आदमी को काम दिया जा सकता है, अगर जगह है, तो जगह दे दीजिए। अगर नहीं है, तो बनाकर दे सकते हैं, तो दे दीजिए, नही है, तो कम से कम उसको जीने के लिए आप उतना दीजिए कि यह हो सकता है। ऐसा होने पर right to work यह जो है, duty to work के साथ देने से एक तो हर आदमी काम पर लग जाएगा और हर आदमी को काम मिलेगा और उसकी वजह से हमारी उपज की जो शक्ति है, वह बहुत बढ़ेगी।

मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा। मैं Egypt का कांस्टीट्यूशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा है, और वह Egypt जैसे कंट्री में सोचने की बात है। Egypt में एक बात जो की गई है, वह यह है कि वहां खाने का सामान मुफ्त देते हैं। वहां ब्रेड बनाकर रास्ते में रख देते हैं और जिसको जरूरत हो, वह ले जाकर खा सकता है। हम भी उस प्रकार का कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैमाने पर कर रहे हैं। तीन रुपये किलो के हिसाब से हम अनाज देंगे, या उसकी ओर चला हुआ कदम है। मगर Egypt के कांस्टीट्यूशन में right to work और duty to work के साथ-साथ उन्होंने 'honour to work' कहा है। उन्होंने एक ही आर्टिकल के अंदर रखा है, The citizen shall have the right, duty and honour to work. Let us have right, duty and honour to work. If we can do it today. आज कर सकते हैं, तो करिए, नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचिए। आने वाले पांच साल के अंदर सोचिए, दस साल के अंदर सोचिए। मगर उस रास्ते पर आज के दिन में जाना, जबकि हम जमीन की उपज की जो शक्ति है, उसका उपयोग करके, समुद्र में जो उपज की शक्ति है, उसका उपयोग करके और आकाश में जो शक्ति है उसका उपयोग करके, हर आदमी को काम देना, मनुष्य की शक्ति के बाहर नहीं है, भारत के मनुष्य की शक्ति के बाहर भी नही होना चाहिए। इतना ही मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : थैंक्यू सर। आज इस बिल के साथ महात्मा गांधी जी का नाम सरकार जोड़ना चाहती है, निश्चित रूप से यह बिल पारित होगा, लेकिन यह नाम का सवाल नही है। महात्मा जिन नीतियों

के सिम्बल हैं, वे symbolise करते हैं, जो इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हैं, मंत्रालय के तमाम आफिसर्स, मंत्री स्वयं और स्टेट गवर्नमेंट्स, वे भी उसी भावना के साथ incentivise होंगे कि इस समय जो भी खामियां इसके इम्प्लीमेंटेशन में हैं, उसको दूर करने के लिए महात्मा जी के नाम के सिम्बल को सामने रखकर वह होगा, यह मैं उम्मीद करती हूं। उपसभाध्यक्ष जी, इस बहस में, मैं चार मुद्दे रखना चाहती हूं। एक है - यह कानून जब बनाया गया, शायद मंत्री जी जानते होंगे, उस समय यूपीए सरकार वामपंथियों के सहयोग से चल रही थी, तो वामपंथी दलों की इसमें बहुत अहम भूमिका थी। इसको मजबूत करने में, इसके तमाम प्रावधानों को और मजबूत करने में, इसको सार्वजनिक करने में वामपंथियों की बहुत अहम भूमिका थी। इसलिए मैं इस कानून की बहुत मजबूत पक्षधर हूं। इसलिए मैं जो भी कहूंगी, वह कानून को और मजबूत करने के लिए कहूंगी। अगर आज कुछ मुद्दे पर किसी प्रकार के confusions हैं, तो उन्हें मैं उठाना चाहूंगी। मैं ये बातें केवल आलोचना के रूप में नही रख रही हूं, मैं पहले मंत्री जी को बता देना चाहती हूं, क्योंकि इस सदन में जब क्वैश्चन ऑवर में इस प्रकार बहस हुई, तो कुछ ऐसे comments हुए थे, जो मैं समझती हूं कि इसको मजबूत करने के लिए हम लोगों की जो भावना है, उसका कहीं तालमेल नही हुआ।

पहली बात, यह कानून मजदूरों के लिए है। यह कानून मजदूरों के 'जीने के अधिकार' के लिए है। यह सीमित है। शिवराज जी ने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया 'Right to Work' का। जब हम लोगों ने शुरू में इस पर बहस की, जब यूपीए सरकार के Common Minimum Programme में इसको रखा गया, तब हमने भी इसको 'Right to Work' के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, उस रूप में देखा। अगर सरकार 'Right to Work' की संवैधानिक बात रखना चाहेगी, तो हम उसका दोनों हाथ उठा कर समर्थन करेंगे। लेकिन अभी जो हाल की स्थिति है, मैं वह बताऊंगी। फाइनांस मिनिस्टर जी ने अपने बजट भाषण में दो बातें कहीं। एक, हम वेतन को 100 रुपए तक बढ़ाएंगे। दो, हम real wage देंगे। जब real wage की बात आती है, तो real wage का मतलब है price index के साथ लिंक करना। अगर आप agricultural workers की price index देखेंगे, तो आप देखेंगे कि शायद 22 प्रतिशत उसकी बढ़ोत्तरी हुई। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब price index का लिंक, जब real wage की बात आती है, इस बारे में निश्चित रूप से हमें सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। असंगठित क्षेत्र के social security की बात हम करते हैं, लेकिन जो मजदूर श्रम के आधार पर manual labour के साथ अपना काम करता है, क्यों नहीं उसका वेतन price index के साथ जोड़ा जा सकता है? यह एक सवाल है। उसी सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहती हूं। मंत्री जी, तब आप मंत्री नहीं थे। लेकिन जनवरी, 2009 में wage freeze का circular निकाला था। Wage freeze के circular में सिर्फ जनवरी में नही, लेकिन कई महीनों में जो gazetted हुआ, मेरे पास उस Gazette की कॉपी है, अगर हम उस मई महीने के हिसाब को देखते हैं, तो 20 ऐसे प्रदेश हैं, जहां उनका वेतन आज 100 रुपए से कम है। बंगाल सरकार ने जनवरी महीने में जब उनका वेतन बढ़ाया, मैं एक मिसाल दे रही हूं, बाद में जब मई महीने का Gazette आया, उसके बाद पत्र लिखा कि मई महीने के Gazette में आपने 75 रुपए बंगाल का वेतन दिखाया है, आप इसको हटा दीजिए। इस पर जब हम लोगों ने सदन में सवाल उठाया, तो मंत्री जी का बयान था कि नहीं, अभी

तो हम लोग 100 रुपए दे रहे हैं, जो भी प्रदेश मांग कर रहे हैं, हम उनको 100 रुपए देंगे। सर, हम लोगों ने RTI के द्वारा इसी wage के संबंध में कुछ प्रश्न किए। आप इस बात को सुन कर हैरान होंगे, उस RTI के द्वारा हमें पता चला कि जुलाई महीने में मंत्रालय में वेतन के संबंध में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम आफिसर्स थे। जब इस 100 रुपए की बात उस जुलाई की मीटिंग में उठाई गई थी, तब वहां के जो पदाधिकारी थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं, उन्होंने कहा, "The Finance Minister has said that we are committed to provide real wage of hundred rupees; he has not said that we shall provide real wage of hundred rupees." यानी भाषा के हेर फेर और seamantics के रूप में यह कहा गया। इसके बार जो बात की गई, जो मेरी समझ में कुछ और भी खतरनाक सा है, उन्होंने कहा, "Let us decide that if the State should come forward and request for enhancement of their wage rate to hundred rupees to the Government of India, then, we can consider it." The meeting concluded that "The issue of notifying hundred rupees as wage rate, will be on the basis of States approaching to enhance their wage rate up to hundred rupees, and, shall be, subsequently, examined by the Government of India." फिर हमने पूछा कि क्या आपने किसी स्टेट को कहा कि आप 100 रुपए की मांग कीजिए, हम आपको देंगे, आज तक हमें उसका जवाब नहीं मिला। मेरे साथी प्रशांत चटर्जी जी यहां बैठे हैं, वे Consultative Committe के सदस्य हैं। जब उन्होंने यह पूछा, तो अक्टूबर महीने में उनको एक पत्र दिया गया, जिसमें लिखा गया, "If the States ask for it, it will be examined." अगर 100 रुपए की यह स्थिति है कि आप स्टेट्स को बताएंगे नहीं, आपका notification अभी भी पुराना notification है और फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमने 100 रुपए दे दिए, तो मंत्री जी के सामने मैं हाथ जोड़कर कहती हूं कि ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी नीयत है कि 100 रुपए minimum देंगे, तो kindly आप notify कीजिए। आप हर स्टेट को कहिए कि अगर आपको 100 रुपए तक बढ़ाना है, तो हमें चिट्ठी दीजिए, ताकि स्टेट्स को पता चले। आज तक स्टेट्स को नहीं बताया गया। मैं मंत्री जी से यही अपील करना चाहती हूं कि इसको notify कीजिए, स्टेट्स को बताइए। जब स्टेट्स कहेंगे, तो kindly do not examine.

इसके साथ एक और बात जुड़ती है। मिसाल के तौर पर, अगर यह notification आता है, तो 20 स्टेट्स में, जहां आज 100 रुपए से कम है, वहां के मजदूरों को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, केरल जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जहां already 125 रुपए दिए जा रहे हैं। अब इस 100 रुपए का अर्थ यह नहीं होना चाहिए, कल हमारे केरल के वित्त मंत्री ने भी यह चिंता जाहिर की कि हम 125 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि यह स्टेट का minimum wage है, Central Government उस minimum wage को इस कानून के मुताबिक स्वीकार कर रही है। एक हाथ से तो वह 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन जहां पर ऑलरेडी 125 रुपए हैं, उनको कम करने की बात नहीं होनी चाहिए।

सर, मेरा जो दूसरा मुद्दा है, वह schedule of rates का है। इस सदन में मैंने बार-बार यह मुद्दा उठाया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की महिलाएं नरेगा का कुछ फायदा उठा कर अपने परिवार की परवरिश के लिए अपनी आमदनी बढाएं, लेकिन आप उनको कौन सा काम दे रहे हैं? सर, अभी मैं चुनाव प्रचार के लिए एक प्रदेश में गई थी, मैं उस प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहती हूं।

वहां मैंने देखा कि नरेगा के आधार पर एक सड़क बन रही है। वहां पर एक औरत पत्थर तोड़ रही थी और उसके साथ एक बच्ची भी थी। मैंने गाड़ी रोक कर उस महिला के साथ बात-चीत की। सर, मेरे पास वह सब कैल्कुलेशन है, ट्रक के मेज़रमेंट के हिसाब से उसको 100 क्यूबिक फुट पत्थर तोड़ना पड़ता है। वहां पर कम से कम सौ बड़े पत्थर रखे थे, जो उस औरत को बड़ा सा हथौड़ा लेकर तोड़ने पड़ते हैं। एक पत्थर को 50 पीस में तोड़ना पड़ता है, क्योंकि SORs के मुताबिक हर पत्थर के पीस को एक साइज़ होता है। उस साइज के मुताबिक उनको उस पत्थर के 50 पीस तोड़ने पड़ते हैं। एक पत्थर को पचास पीस में तोड़ने के लिए उसको कम से कम 50 बार उस पत्थर को एक बड़े से हथौड़े के साथ मारना पड़ता है। यानी एक दिन के वेतन के लिए उस औरत को 5000 बार उस भारी हथौड़े को उठा कर मारना पड़ता है। सर, 5000 बार हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। 5000 बार में उस हथौड़े से पत्थर तोड़ कर जब वह औरत घर जाती है, तब उसकी क्या हालत होती होगी? उसने हमें बताया कि दीदी, अगर मैं दो दिन यह काम करती हूं, तो पांच दिन मुझे बिस्तर में आराम करना पड़ता है। हम उठ नही पाते हैं, लेकिन फिर भी इस कमजोर शरीर को खीच कर, उठ कर हम यहां जाते हैं। सर, हकीकत यह है। मै मानती हूं कि आपने रोज़गार देने का काम किया। रघुवंश जी जब मंत्री थे, उन्होंने इस काम को किया। उन्होंने SORs के संबंध में स्टेट्स से एक Time motion Studies करवाया। लेकिन सर, आज भी हकीकत है कि जहां पर औरत काम कर रही है, उस औरत का काम का independent measurement नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि महिलाओं को अलग से time-rate पर पैसे दे दीजिए। अगर आप यह सोचते हैं कि फिर तो औरतें काम पर ही नही जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। फिर भी मैं आपसे यह कहती हूं कि आप SORs के बारे मे एक नैशनल पॉलिसी बना कर उनके काम को कम करने का प्रयास कीजिए।

मेरा जो तीसरा मुद्दा है, Sir, I have got only two small points. मेरा तीसरा मुद्दा सौ दिन के रोजगार की सीमा के सवाल पर है। हालांकि मैं मानती हूं, चूंकि मंत्री जी ने कहा कि मांग कम है और हम 100 दिन ही मुश्किल से काम दे पा रहे हैं तब हम इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन मेरा एक सवाल है। आपने अभी convergence के norms बनाने का फैसला किया। आज जहां मंत्री जी शैड्यूल में इतनी सारी बुनियादी बातों को बदल रहे हैं, लेकिन अच्छा यह होता कि कम से कम पार्लियामेंट में हम लोगों को भी उन बदले हुए मुद्दे पर बहस करने का मौका मिलता। शायद उससे कुछ मदद ही होती।

लेकिन, उन्होंने पार्लियामेंट में बहस नही की। Convergence ठीक है। हम convergence के खिलाफ नही है, लेकिन convergence का मतलब NREGA में जो SORs हैं, जो NREGA का वेतन है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई compromise नही होनी चाहिए।

सर, इसमें दूसरी बात यह है कि अगर convergence होगा तो हो सकता है कि दो अलग-अलग सरकारी sites पर एक ही परिवार के दो लोग काम कर रहे हों। अगर convergence हो जाएगा तो उस परिवार का केवल एक सदस्य ही काम कर सकेगा। इस समय मैं जानती हूं कि कितने परिवारों में से एक ही गांव में या दो गांवों में

husband कहीं काम कर रहा है और उसकी बेटी या पत्नी किसी और government site पर काम कर रही है। लेकिन, अगर convergence हो जाएगा तो उसके आधार पर उस परिवार का केवल एक ही सदस्य काम पाएगा। इसलिए, सर convergence के आधार पर परिवार के एक सदस्य की जो सीमा है, या तो आप उसको समाप्त कीजिए या सौ दिन की सीमा को समाप्त कीजिए, वरना convergence का जो एक अच्छा सुझाव है, उसका अच्छा असर होने के बजाए गलत असर पड़ेगा।

सर, अभी small and marginal farmers के काम के लिए इन्होंने उल्लेख किया है। मैं इसका स्वागत करती हूं। यह बहुत जरूरी है कि small and marginal farmers का भी करना चाहिए। लेकिन, मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहती हूं कि जो regular cultivation के काम हैं, जैसे मजदूरों का वेतन देना इत्यादि, इन्हें आप NREGA के अन्दर मत लाइए। यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो asset building काम है, small and marginal farmers की जमीन पर, उसके लिए जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर केरल में हम लोगों ने एक scheme दी थी। वहां बहुत-से ऐसे coconut trees हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं। वह scheme उन trees को काटने के लिए और वहां replant करने के लिए थी, क्योंकि वह homestead land में होता है तथा जो खेत मजदूर होते हैं या जो बहुत गरीब किसान होते हैं, उनकी जीविका का एक आधार होता है। इसलिए इस NREGA के अन्तर्गत उन small and marginal farmers के plots पर उनकी replanting के लिए इस प्रकार की कुछ schemes हैं, जिन्हें हम इसमें जोड़ सकते हैं। बंगाल में इतने closed tea gardens हैं...।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्रीमती वृंदा कारत : वहां बहुत मुश्किल हो रही है। हम लोगों ने आपको कई बार सुझाव दिया है, लेकिन अभी भी Central Government ने उसको नहीं माना है। मुझे अभी खुशी है कि हमारे बंगाल के भी मंत्री उस Rural Development में हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप उस पर थोड़ा ध्यान देकर, उस स्कीम का विशेष ध्यान देकर, यह करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करती हूं।

सर, मैं last में एक बार कहती हूं। यह उत्तराखंड की hills में रहने वाली औरतों की है...।

श्री उपसभापति : अब नहीं।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, यह बिल्कुल इसके साथ है।

श्री उपसभापति : ठीक हे, मगर समय कम है।

श्रीमती वृंदा कारत : अच्छा ठीक है, मैं अब नहीं बोलूंगी।

सर, last में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग परिवर्तन के जो भी मुद्दे इस NREGA के schedules में लाना चाहते हैं, उसमें मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप लोग पहले पार्लियामेंट की बहस करवाइए और उसके बाद आप final फैसला कर लीजिए। यही मैं आपसे अनुरोध करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा जाए, मैं इसका समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री भगवती सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, यह "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" शब्दों को जोड़ने का सवाल है।

मान्यवर, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। दुनिया उनको बड़े सम्मान के साथ देखती है। इसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का उनका सम्मान है और हमारे आदर्श हैं, उसको देखते हुए इस अधिनियम के साथ उनका नाम जोड़ा जाना मैं उचित नहीं मानता। महोदय, कल्पना की उड़ान में यह बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार में जो दिखाई पड़ रहा है, उससे बड़ी निराशा हो रही है।

मान्यवर, इसके उद्देश्य में यह कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में रोजगार देने की गारंटी एक परिवार के एक व्यक्ति को है।

मान्यवर, 100 दिन काम करने के लिए मिलेंगे और 100 दिनों में मोटे तौर पर उसकी आमदनी 10000 रुपए होगी। गांवों में आम तौर पर पांच लोगों का परिवार होता है और पांच लोगों के परिवार में एक साल अगर 10000 रुपए में निर्वाह करना होता है तो 1000 रुपया प्रति माह भी नहीं पड़ रहा है।

मान्यवर, आज दाल 90 रुपए किलो है, चीनी 40 रुपए किलो है, सब्जी मंहगी होती जा रही है, आलू-प्याज साधारण आदमी को नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी का जो भोजन दाल और रोटी थी, अब वह नमक और रोटी में बदल गया है। आज लगता तो यह है कि हम गांधी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह गारंटी देकर झुठलाया जा रहा है कि हम एक साल में 100 दिन उसको काम दे रहे हैं। बाकी परिवार बेकार रह जाता है और परिवार का निर्वाह नहीं होता।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ अभी तक यह भी नहीं निर्धारित हो पाया कि कौन-से उपयोगी काम है, जिनमें उनसे मजदूरी करायी जाए और जो काम गांव के लिए श्रम के हिसाब से उपयोगी भी हो। अभी एक दिन मैं रायबरेली गया। वहां एक तालाब की खुदाई हो रही थी। तालाब देखने में बहुत अच्छा खुदा। वहां जो अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि इस तालाब में पानी कहां से आएगा? तो मुझे यह बताया गया कि नहर से और ट्यूबवेल से तालाब भरा जाएगा। अब जो तालाब बन रहे हैं, यह कहा जाता है कि पुराने तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन स्थिति बदल गयी है। जो पुराने तालाब थे, हर साल से खोदे जाते थे और उनमें से लोगों के घर बनाने के लिए मिट्टी निकाली जाती थी। अब गांवों में कच्चे घर कोई नहीं बनाता। अब वहां पक्के घर बनते है जिसकी वजह से पुराने तालाबों की मिट्टी नहीं निकल पाती। परिणाम यह होता है कि वे सब पटते चले जा रहे हैं। बरसात का पानी जो उन तालाबों में इकट्ठा होता था, उनका बहाव बदल गया है, क्योंकि वहां विकास के काम हुए हैं। कहीं सड़क बन गयी है, कहीं मकान बन गये है और कहीं और भी विकास के काम हो गये हैं, जिसकी वजह से पानी जिस बहाव में आता था, वह अब बह कर उन तालाबों में नहीं आता। परिणामस्वरूप, उन्हें खोदने के बाद भी वे किसी काम के नहीं रहेंगे, उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो काम होते हैं, वे काम उपयोगी नहीं है। मान्यवर, होना यह चाहिए कि ऐसे काम जिसमें श्रम भी उपयोगी हो और उसमें जो पैसा लगे, उसका भी कोई अर्थ निकले। जैसे, जो गांव की बंजर भूमि पड़ी है, वहां तमाम जमीनें अभी भी बंजर और अनुपयोगी पड़ी हैं, उनको उपयोगी बनाने के लिए, जो

भूमिहीन हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए। उनको आर्थिक मदद देकर कहा जाए कि वे उनको उपयोगी बनाएं, उपजाऊ बनाएं। इससे वह जमीन भी उपजाऊ होगी और जो पैसा लगेगा, वह भी सार्थक होगा।

मान्यवर, इस योजना, यानी "नरेगा" में बड़े भ्रष्टाचार हैं। ...(समय की घंटी)... मैं आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि जयपुर में एक प्रदर्शन हुआ है कि जिसका एक मकसद था कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। वहां के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हैं, इनको समाप्त करना होगा और यह भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मान्यवर, यह उन्होंने स्वीकार किया है। इस तरह से गांधी जी का नाम भ्रष्टाचार के साथ और इस तरह के अनुपयोगी कामों के साथ जोड़ना उपयोगी नहीं होगा।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए, आपका समय हो गया है।

श्री भगवती सिंह : बस, अब खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, इस तरह से गांधी जी के नाम को सार्थक नहीं बनाया जा सकता है। अन्य तमाम नेता हैं, बड़े-बड़े नेता हुए हैं, अच्छा होगा कि उनके नामों में से किसी एक को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह उचित होगा, लेकिन महात्मा गांधी का नाम इसके साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, यही मेरा अनुरोध है।

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा जो संशोधन लाया गया है कि गांधी जी के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए अधिनियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम सम्मिलित हो और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के रूप में संशोधित किए जाने का जो प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जब हम संशोधन के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना में जोड़ने जा रहे हैं, तो हमें काफी सतर्कता बरतनी होगी। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी योजना बनाने से पहले हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि उस योजना का लाभ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को कहां तक पहुंचेगा। गांधी जी कहा करते थे कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम उस योजना का लाभ पहुंचाने में सफल होते हैं या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। गांधी जी के सपनों का भारत शायद अभी पूरी तरह नहीं बना है और उसको बनाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए यह अच्छा कदम हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी की ओर से आया है और इस योजना को गांधी जी के नाम के साथ जोड़ने का उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है।

उपसभापति जी, गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश में असली स्वराज्य तब आएगा जब हम गरीबी के अभिशाप को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, लेकिन आज़ादी के बाद एक लंबा समय गुजर जाने के बाद भी हम गरीबी से जूझ रहे हैं और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। हमें यह देखना होगा कि हमारे देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसके अनुपात में हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, गरीब हैं, उनको उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जब यह योजना

6.00 P.M.

2005 में लाई गई थी, तो उसके पीछे मकसद यही था कि जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए और किस तरह से रोज़गार मुहैया किया जाए। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की है और उसको रोकने के लिए भी NREGA की योजना बहुत लाभदायक हो सकती है। आज भी जो गरीब राज्य हैं, वहां से पलायन करके लोग बड़े-बड़े शहरों में और दूसरे राज्यों में अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश में चले जाते हैं।

उपसभापति जी, कोई भी व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर पलायन नही करना चाहता है, दूसरे शहर और दूसरे राज्य मे जाकर नौकरी की तलाश नही करना चाहता है, लेकिन यह उसकी मजबूरी बन गई है और इसीलिए आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जिससे उनको अपमानित भी होना पड़ता है, जिसको वे अपने बच्चों के पेट की आग को बुझाने के लिए झेलते हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना के माध्यम से अगर हम पलायन को भी रोक सकें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

उपसभापति जी, यहां कई बातें सुझाई गई हैं, अभी वृंदा जी ने मिनिमम वेजेज़ की बात कही है, मैं समझता हूं कि इस बात पर सरकार को और मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि राज्यों में जो मिनिमम वेजेज़ मिल रहे हैं, कम से कम उतना तो इस योजना के अंतर्गत जरूर मिले, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह का बोझ है, उसको झेलने के लिए जरूरी है कि उनको आर्थिक रूप से मदद मिलनी चाहिए। दूसरी, इसमें जो बंदिश है कि एक परिवार के एक ही व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जाता है, उसे हटा देना चाहिए।

महोदय, आज गांव की जो स्थिति है, वह हम लोग देखते हैं कि वहां एक-एक परिवार में 12 सदस्य भी होते हैं और 15 सदस्य भी होते हैं। अगर उस परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना में शामिल किया जाएगा, तो बाकी लोग उससे वंचित रह जाते हैं और उनकी पेट भरने की जो बुनियादी समस्या है, वह पूरी नही होती है। इसलिए इस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी योजना है। अगर इसको ठीक ढंग से और सही ढंग से लागू किया जाए, तो बहुत अच्छी है। भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं, बहुत से राज्यों में यह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और बहुत से राज्यों मे शिकायतें भी आ रही हैं। इसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। मैं केन्द्रीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह उस पर विचार करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ जो संशोधन लाया गया है और महात्मा गांधी का नाम इस योजना के नाम के साथ जोड़ा गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री आर.सी. सिंह। आपके पास तीन मिनट का समय है।

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, तब तो मैं खड़ा होकर बैठ जाऊं।

श्री उपसभापति : यह आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी पार्टी/ आपको तीन मिनट का समय एलोट किया गया है। आप बैठें या बोलें, यह आपकी मर्जी है।

श्री आर.सी. सिंह : सर, जब भी मैं खड़ा होता हूं, तो तीन मिनट का ही समय मिलता है।

श्री उपसभापति : आप अपना नंबर बढ़ाकर ज्यादा समय लीजिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

श्री आर.सी. सिंह : सर, अगर नंबर बढ़ जाता, तो इसका सवाल ही नहीं रहता। मैं तीन मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। सर, माननीय मंत्री जी ने जो यूपीए के फ्लैगशिप प्रोग्राम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने के लिए बिल लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। "नरेगा" का उद्देश्य बीपीएल के हाउस-होल्ड्स को रोजगार देना और उसमें पूरी transparency और accountability हो, यह रहा है। हालांकि इस योजना द्वारा बीपीएल हाउस-होल्ड्स को रोजगार देने में कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन जब transparency और accountability की बात आती है, तो उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार बीपीएल category में 88.5 मिलियन हाउस होल्डर्स हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : यह बीपीएल के बारे में नहीं है, बल्कि यह सब के लिए है।

श्री आर.सी. सिंह : मैं अभी बीपीएल की बात कह रहा हूं और बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। सरकार ने इस साल "नरेगा" के लिए 39,600 करोड़ रुपए एलॉकेट किए हैं। अगर आप calculate करेंगे, तो इस हिसाब से प्रत्येक हाउस-होल्ड को 4450 रुपए एक साल में मिलने हैं। इसका अर्थ यह है कि हर परिवार को साढ़े चवालीस दिन काम करने के लिए मिलेंगे। यानी चार सौ रुपए प्रति माह से भी कम होगा। अगर इसको दैनिक हिसाब से देखें तो यह प्रति परिवार प्रति दिन तेरह रुपए होता है, यानी अगर तीन आदमी का एक परिवार है, तो लगभग चार रुपए प्रति व्यक्ति मिलेंगे। आज बाजार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पिछले महीने की तुलना आज बीस प्रतिशत से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। इस कारण से उनके लिए परिवार चलाना दूभर हो गया है, जीवन-यापन करना कठिन हो गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसमें कम से कम दो सौ दिन रोजगार देने के लिए व्यवस्था की जाए। वह स्टेट्स से बात करें, अन्यथा गरीब लोगों का जीना दूभर हो जाएगा।

दूसरी बात यह है कि "नरेगा" एक प्रकार से लोगों को अपने आय में कुछ सेविंग्स करने और इनकम करने का अवसर देती है। यह एक बहुत छोटा amount है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उन लोगों की आर्थिक सुरक्षा की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आधे से अधिक सेविंग्स इस प्रकार के हैं कि वे एक्स्ट्रा मनी घर में रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि 34 प्रतिशत से ज्यादा हाउस-होल्ड्स के पास bank account है, लेकिन इनमें से ज्यादातर inactive हैं और नौ प्रतिशत हाउस-होल्ड्स के पास ही active account है। ...**(समय की घंटी)**...। सर, मैं प्वाइंट ही बोलता हूं, इसलिए कृपया आप घंटी न बजाएं।

श्री उपसभापति : मैंने घंटी बजा दिया है, अब आप जल्दी से अपने प्वाइंट्स बोल दीजिए, मैं दूसरी घंटी नहीं बजाऊंगा।

श्री आर.सी. सिंह : सर, इसमें कुछ additional काम के स्कोप जोड़े जाएं, जिससे कि इनको दो सौ दिन का काम मिल सके। जैसा कि मैंने पहले ही transparency और accountability की बात कही है, इसमें इनके पास कोई पे-रजिस्टर नहीं होता है। बैंकों में सिर्फ इनकी स्लिप चली जाती है, वहां से इनको मिलता है, इसलिए Pay Register शुरू हों, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। Master Rolls ही नहीं, Pay Registers भी होने चाहिए।

सर, इनको रोजगार के लिए एक comprehensive card देने की भी बात थी, अगर वह दिया जाता, तो बहुत अच्छा होता और महंगाई के साथ इसे जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI RAJNITI PRASAD (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, before saying anything, I must congratulate Dr. C.P. Thakur, Shri Shivraj Patil and the other Members, who have spoken on this subject.

सर, डा. सी.पी. ठाकुर ने बहुत अच्छी बात कही कि इस योजना को कई जगहों पर समायोजित करना चाहिए, कई जगहों में लाना चाहिए और शिवराज वी. पाटिल जी ने भी बताया कि इसको हम लोग कैसे लागू करें। सर, मेरा मानना है कि आने वाले एक हजार वर्ष के बाद महात्मा गांधी जी का नाम लोग भगवान के रूप में जानेंगे कि भगवान भी यहां होते थे, लेकिन सर, इस हाउस में और इस देश में राम को भी लोगों ने बदनाम किया है। राम को बदनाम करने का प्रयास इस हाउस और इस देश में हुआ है, किसी के द्वारा हुआ है और किसी पार्टी के द्वारा हुआ है और हम नहीं चाहते कि महात्मा गांधी का नाम भी इस तरह आप लोग बदनाम करें, क्योंकि महात्मा गांधी एक symbol हैं, इस देश के ही नहीं, इस दुनिया के। तो जो यह नरेगा है, इसमें जो 39 हजार करोड़ रुपया आपने दिया है, उसमें कितना व्याभिचार हुआ है, कितना करप्शन हुआ है ! हम यह नहीं कहते कि आप इसको खत्म कर दीजिए, लेकिन आपका अगर कोई monitoring system नहीं है, अगर आप इसको पूरे देश में इंप्लिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इसके कर्णधार हैं, जो इसको लागू करने वाले हैं, उन्हीं को अमीर बनाने के लिए आपने इस योजना को लागू किया है और अगर ऐसा है, तब तो वह unfortunate है and I must say that this is a good scheme, but its implementation is very bad.

सर, आप ब्लॉक में जाइए। हम तो बिहार से आते हैं, हमने देखा है और लोगों से पूछा है कि कितने लोगों को काम मिला है? गांवों में लोगों को काम मिलता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो ठेकेदार होता है, वह उसको पच्चीस रुपया, चालीस रुपया, पचास रुपया देता है और जो वहां का बी.डी.ओ. होता है, प्रोग्राम अधिकारी होता है, उसकी इसमें सहभागिता होती है। तो इस तरह इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का इतना नाश किया जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि यह खराब है, यह बहुत अच्छी चीज है। ...(**व्यवधान**)... जरा शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। सर, मैं यह कहता हूं कि बहुत नाश किया जा रहा है। जहां भी जाते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने काम किया और मुझे एक साल में सौ रुपया रोज का तीन महीने काम मिला - ऐसा कोई नहीं बोलता है। वह बोलता है पच्चीस रुपया मिला, चालीस रुपया मिला, पचास रुपया मिला। इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह पवित्र स्कीम है और हम लोगों ने तो समाजवादी आंदोलन में नारा दिया है कि "रोजगार दो, नहीं तो रोज़गारी भत्ता दो।" उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह जी ने कुछ ऐसा शुरू भी किया था। आपने पूरे देश में लागू किया है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने 39 हजार करोड़ रुपया दिया है, तो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए अपना monitoring system बनाइए, वरना आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा, हमें माफ नहीं करेगा कि इतना रुपया बाजार में फेंक दिया और इंप्लिमेंट करने वाले लोगों को करप्ट किया।

सर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत कौन सा काम करना है और कौन सा काम नही करना है, इसके बारे में भी विचार कीजिए, क्योंकि वहां कौन सा काम होता है और कौन सा नही होता है, यह लोगों को मालूम नही है और रोज़गार गारंटी योजना में आपने कहा है कि कोई भी नौजवान जाएगा और कहेगा कि हम बेरोज़गार हैं, हमको काम चाहिए, तो उसको काम दिया जायेगा, लेकिन काम कहां मिलता है? उसको जॉब कार्ड कहां मिलता है? साथ ही जो पैसा आपने राज्यों में भेजा है, हमें लगता है कि उसका भी इंप्लिमेंटेशन सर्टिफिकेट आपको नही मिल रहा होगा, क्योंकि वे लोग काम देने के लिए तैयार नहीं हैं और काम मिलता नही है।

इस पवित्र नाम के आगे - जब आप इतना पवित्र नाम ले रहे हैं तो हमारे शरीर का रोआं भी इस पवित्र नाम से जाग्रत हो जाता है कि महात्मा का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं यह नही चाहता हूं कि महात्मा के नाम से, एक दिन ऐसा हो कि यह स्कीम खराब थी, इस स्कीम को करप्शन के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए जिस तरह से राम को लोगों ने बदनाम किया, वैसा न हो। इसलिए इनको छोड़ दिया जाए ...**(व्यवधान)**... यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : राजनीति प्रसाद जी, किसके नाम से करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री प्रभात झा। आपके पास सात मिनट है।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं बधई देना चाहता हूं कि असली गांधी का नाम, महात्मा गांधी जी का नाम अब आया है। उनके नाम पर ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं।

श्री तारिक अनवर : आप बोलते जाइए, हम लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं।

श्री प्रभात झा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इज्जत सिर्फ कांग्रेस के लोग नही करते, सारा देश करता है। महात्मा गांधी ने एक लंगोटी पहनकर अंग्रेजों को भगाया था, लेकिन कांग्रेस के लोग पूरी वर्दी पहनते हैं, किन्तु ये लोग साठ साल में बेरोजगारी नहीं भगा पाए। अब कौन महान है, यह आप तय करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम यदि आप इससे जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे नियम और कायदे बदलने होंगे। महात्मा गांधी एक दर्शन का नाम है, महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम नही है। महात्मा गांधी कहते ही आप नरेगा के पाप को ढक नही सकते हैं। नरेगा के संबंध में आपकी नीयत खराब है, आपने उसको चुनावी हथकंडा बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी नीयत ठीक होती तो नरेगा बहुत अच्छी योजना हो सकती थी। लेकिन आज नरेगा की क्या स्थिति है? मैं सी.पी. जोशी जी की ही constituency, भीलवाड़ा की बात लेता हूं। उनके यहां नरेगा का चालीस लाख रुपए का घपला पकड़ा गया है और यह अखबारों में छपा है। किस नरेगा की हम बात करें? हमारे राज्य के एक केन्द्रीय मंत्री हैं, अरुण यादव जी, वे खरगोन के रहने वाले हैं, कसरावत के हैं। मजेदार मामला है कि नरेगा में केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, उनकी पत्नी नम्रता यादव और उनके पिता सुभाष यादव जी मजदूरी लेते हैं। यह सच नही, यह केन्द्र की वेबसाइट पर है। नरेगा की आधारभूत योजना क्या है, इसकी संरचना क्या है?

आखिर कहीं न कहीं इसका infrastructure तो तैयार करिए। मैंने साधू-महात्मा को छोड़कर अन्य किसी को कभी सीधा कपड़ा दुकान से लाए और लपेट लिया, ऐसा नहीं देखा है। सब अपने नाम का कपड़ा सिलाते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, देते हैं। इसकी कोई ऐसी आधारभूत योजना नहीं है। कौन देखेगा, कौन-कौन से काम होंगे, क्या-क्या होगा, ऐसे क्यों नहीं तय हुआ? आप क्या चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम लेने से सब लोग इसको भूल जाएंगे। शायद महात्मा गांधी जी के साथ, जितनी अन्य लोगों ने बात नहीं कही, कांग्रेस बहुत बड़ा अन्याय करेगी, अगर ऐसा नाम वह रखती है। नाम तो आपको रखना ही है, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप अधिनियम लाए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले आपको तय करना होगा। महोदय, नरेगा का सोशल ऑडिट हुआ है। उस सोशल ऑडिट में जो बातें आयी हैं, उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जॉब कार्ड से शुरूआत होती है। जॉब कार्ड बनाने बनाने में पूरी धांधली होती है। मृतकों को मजदूरी दे दी गई और जीवित लोग तरस रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामचन्द्र खूंटिआ : कौन देता है? केन्द्र सरकार देती है या राज्य सरकार देती है? ...**(व्यवधान)**... उसका सलैक्शन कौन करता है? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा : सवाल यह नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप सुनिए तो सही। मजदूरों की बात हो रही है ...**(व्यवधान)**... बाहर घूमकर आने के बाद यहां नम्बर बनाने की कोशिश मत करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पाणि जी। आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... वे भी बैठेंगे, आप भी बैठिए। खूंटिआ जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा : सर, फिर मुझे एक मिनट और लगेगा।

श्री उपसभापति : नहीं लगेगा।

श्री प्रभात झा : महोदय, इसके बाद अन्य लोगों के द्वारा जॉब कार्ड रखने की शिकायत इसमें आती है। जो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट आई है, मैं उसको रख रहा हूं और योजना ठीक चले, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसमें मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, सत्ता पक्ष की नीयत में क्या है, मुझे पता नहीं। उपसभापति महोदय, इसमें गलत योजनाओं का चयन किया जाता है, स्वीकृत राशि की निकासी कौन करता है, आप बताइए चैक देने में धांधली, बैंक में रखे पैसे की धांधली होती है। इतना ही नहीं है, सूचना पट्ट पर योजनाओं की जानकारी देने में आनाकनी की जाती है। जिन चीजों से यह योजना सफल हो सकती है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो बातें नहीं होनी चाहिए, वे सारी बातें होती हैं। अब काम देने में विलम्ब होता है, इसमें विलम्ब क्यों होता है, कौन रोकता है काम देने के लिए? आखिर क्यों? तो सिर्फ कमीशन के लिए काम देने में विलम्ब किया जाता है और कमीशन कौन लेता है, यह कागजों का खेल है नरेगा। आप इसे मगरेगा करिए, मगरेगा करिए, नरेगा, मरेगा क्या-क्या मुझे पता नहीं। आखिर हम कहां से ले जाना चाहते हैं। इतनी ही बातें नहीं हैं, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। विश्व बैंक ने क्यों अपनी रिपोर्ट में कहा

है कि हमें बहुत नाखुशी है इस चीज से। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार का नाम है नरेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने भरी सेमिनार में कहा था। अब बताइए, उसके बाद भी यदि आप चाहते हैं कि इस देश की करंसी पर जिसका फोटो है, जिसको देखकर आज भी हिम्मत होती है, वैसे तो माननीय शिवराज वी. पाटिल जी ने पता नहीं, आज वे क्यों फूट पड़े, बहुत तरीके से कहा है कि नरेगा में क्या-क्या होता है, उन्होंने दोनों तरफ थोड़ी बचने की कोशिश की। वास्तव में नरेगा एक नई धांधली का नाम है और यह धांधली कम से कम अगर महात्मा गांधी का नाम आप जोड़ेंगे तो पहले धांधली बंद कर दीजिए, सारे नरेगा के उन तापों को कम से कम बंद कर दीजिए, उन चीजों को बंद कर दीजिए, जिनसे यह नरेगा योजना फेल हो रही है, अन्यथा लोगों को विश्वास वैसे ही दिनों-दिन महात्मा गांधी से उठता जा रहा है, उनसे नहीं, उनके अनुयायियों से उठता जा रहा है। ...(समय **की घंटी**)....

मेरा निवेदन है कि आप कम से कम नरेगा के जो नार्म्स हैं, पहले वह तय कर लीजिए, इसकी आधारभूत संरचना को पूरी तरह से व्यवस्थित कीजिए कि कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, किस का काम है, कैसे-कैसे होगा, किन-किन योजनाओं में होगा, आपके पास कोई शैड्यूल नहीं है। आप लगातार और कम से कम नीयत साफ रखिए, अन्यथा नीयत भी आपका साथ नहीं देगी। नाम कुछ भी रखें आप, नाम रखने से आप कम से कम महात्मा गांधी को छोड़ देंगे तो लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा है - राष्ट्रीय नरेगा, उसको नेशनल कहा है और अब आप महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, उसके लिए सारे नार्म्स ठीक कर लें। मुझे लगता है कि ऐसा करें तो शायद आप अपने साथ, कांग्रेस के साथ, देश के साथ, हम सब के साथ न्याय करेंगे, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री भारतकुमार राऊत (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस चर्चा का मैं आखिरी वक्ता हूं, अगर मैं चाहता तो बहुत समय बोल सकता था। मैं उस प्रदेश से आता हूं, जिस प्रदेश ने इस योजना की नींव रखी है। रोजगार हामी योजना, महाराष्ट्र में पैदा हुई और उसी से आदर्श लेकर यहां पर यह नरेगा योजना आ गई है, इसके लिए मुझे महाराष्ट्र के ऊपर बहुत गर्व है। मुझे यह भी अच्छा लगता है कि आपने इसे महात्मा गांधी का नाम दिया। कुछ सालों के बाद इस सरकार को महात्मा गांधी की याद आई, यह मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ नाम बदलकर काम नहीं बदलेगा। अगर आपको महात्मा गांधी का नाम लेना है, उससे जो कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना है, वह आप जरूर ले लो, लेकिन उस नाम के साथ कुछ जिम्मेदारी आपके पास आती है, उसका भी कुछ ख्याल रखो, इतना ही मेरा कहना है। मुझे बहुत बोलना था, लेकिन समय कम है इसलिए मैं कुछ बिन्दु आपके सामने रखता हूं। उपसभापति महोदय, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि नरेगा योजना यह भ्रष्टाचार का डैम बन गया है, यह कांट्रेक्टर का पैराडाइज बन गया है। मैं जिस राज्य से आता हूं, जहां से शिवराज वी. पाटिल जी आते हैं, इस मराठवाड़ा में एक गांव की आबादी है तीन हजार। उसमें काम करने को ऐसे सक्षम लोग हैं जो 18 से 60 वर्ष के मेल एंड फीमेल, पुरुष और औरतें, उनकी संख्या 1200 है। लेकिन उस गांव में इस योजना के ऊपर काम करने वाले लोगों की संख्या 2500 दिखाई गई है। ये लोग कहां से आए? ये कांट्रेक्टर लोग ट्रक भरकर लोग लाते हैं, उनको एक तरह का एक मेहनताना दिया जाता है, उसमें से 30 परसेंट, 40 परसेंट और कभी-कभी 50 परसेंट रकम काटकर लोगों को मजदूरी दी जाती है। मेरा सुझाव है, जिसको मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को पहले भी बताया था। आप उनको जो रकम देते हैं, वह उनके हाथ में न दो, यह रकम near by बैंक में, अगर बैंक नहीं है, तो गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस हैं, आप इसको पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे, तो जितनी रकम उनको मिल रही है, उतनी ही रकम उनके खाते में जाएगी और उनको बचत करने की भी आदत हो जाएगी।

मेरा दूसरा बिंदु यह है कि यह एक सोशल कॉज है, एक नोबल कॉज है। आप ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उनको रोजी-रोटी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उनके आरोग्य की चिंता करने की जिम्मेदारी भी इस सरकार की है। जो आदमी, जो औरत आपका काम कर रही है, वह अगर बीमार हो जाए, तो उसके आरोग्य की चिंता कौन करेगा? अगर वह काम पर नहीं आता है, तो उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके घर में रोटी नहीं पक रही है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उसके अरोग्य के लिए अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम तैयार करेंगे, जिससे वह अगर बीमार हो जाए, तो उसको कुछ कम्पनसेशन मिले, तो एक गरीब आदमी आपको बहुत दुआ देगा।

दूसरी चीज यह है कि जो मजदूर हैं, उनमें से बहुत सारे बिना पढ़े-लिखे हैं, उनकी अगली जनरेशन को शिक्षित करने की जिम्मेदारी अपनी ही सरकार की है। हमारे पास ऐसी स्कीम्स हैं, लेकिन ये जो मजदूर हैं, इनके बच्चों के लिए अलग एजुकेशन स्कीम बनाने की जरूरत है। उनके लिए ऐसे स्कूल चाहिए जहां पर उनके माता-पिता काम कर रहे हैं, उसके नजदीक क्लास रूम हो जाए, तो इनके बच्चे पढ़ सकते हैं। आपके स्कूल अगर जिला के गांव में हैं, आपके स्कूल अगर तालुका के गांव में हैं, तो इनके बच्चों के लिए यह संभव नहीं है कि वे वहां जाकर शिक्षा प्राप्त करें। ...**(समय की घंटी)**... तीसरा, मैं एक ही मुद्दा आपको बताता हूं। यहां पर जो मजदूर काम करने के लिए आते हैं, विशेषकर जो औरतें काम करने के लिए आती हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्रेच की व्यवस्था करना भी इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे हैं, तो अगली जेनरेशन का विचार उन्होंने किया था, जो छोटे बच्चे हैं, जो चार-पांच साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जहां पर काम चल रहा है, वहां पर अगर आप उनके लिए क्रेच तैयार करेंगे, बच्चों की देखभाल करने की व्यवस्था करेंगे, तो लोग आपको दुआ देंगे और महात्मा गांधी भी ऊपर स्वर्ग से आपको दुआ देंगे, नहीं तो वह आपको नहीं बख्शेंगे। इतना ही मैं आपको बताता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, there is extreme paucity of time and I have ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, there is great paucity of time.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: So, next time, I will not try to speak within five-seven minutes. But, I have a suggestion for the hon. Minister, through you, Sir. I would appeal to him to kindly revisit the Scheme himself. I heard Shivraji and Brinda Karatji and many others. Very good suggestions have been made. And this is the point of time when the hon. Minister should accept to revisit the Scheme and start thinking how best we can implement it because so many complaints of corruption and non-transparency are there. One cannot go in this short time into all that. But, I will try to आपके हुक्म से मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगा। I have a couple of suggestions. With social audit as an instrument, a powerful instrument, and the Right to information Act, the UPA Government has done a laudable thing to give this measure to the country. I saw some foreigners praising this

NREGA. When you give right to work, that means you have organised a great revolution and this is the first step. I have no hesitation in saying that the UPA, for all times to come, have given to this country an idea; and, we have added another idea, that is, Mahatma Gandhi. This is a laudable scheme. All of us must try to make it transparent. We are public representatives. Cutting across party-lines, I find interest in proper implementation of NREGA. And, we shall do it. The social audit and Right to Information Act, both are powerful instruments and there would be a day when this scheme would be accepted by people and implemented properly, I have no doubt in my mind.

Mr. Deputy Chairman, Sir, through you I would like to reach the Minister to say that there are States where there is confusion on how to give work to the people. It is not organised. NREGA is not dovetailed with economic situations. Therefore, 1 have a suggestion, I have some experience in the Ministry of Water Resources. Rain water harvesting and restoration of water bodies throughout the country is a must these days. Because of global warming you do not have much rains in the country. Therefore, whatever rain water is available, every drop of water must be harvested and used for drinking purposes and for irrigation. In this regard, a model Bill has been circulated and accepted except Punjab. The whole country has accepted rain water harvesting as a measure. So, rain water harvesting has to become a people's movement, and NREGA can be dovetailed with rain water harvesting; it is required in every State. We also have to have restoration of water bodies. We have five lakh water bodies. Some are defunct. Therefore, you have to come forward to this House where you will say how many schemes, how many economic situations will be dovetailed with NREGA.

With regard to association of Mahatma Gandhi with the scheme, Mr. Deputy Chairman, Sir, I have no doubt in my mind, with every passing day in future, Mahatma Gandhi's name will be stronger as an idea. He would be greater in history in the days to come. I come across the teachings of Mahatma Gandhi every day. I find that those teachings are relevant to our lives. For instance, in this scheme, who are indulging in corruption? It is the greedy people. Much money is not required to live honourably. But, there is greed. Some people want money and get money for the sake of money, not for the comforts that the money gives to people. Mahatma Gandhi had alerted people and I cannot go deeper into it. But, I would like to quote Mahatma Gandhi. I would like to quote him, more or less, in the same words: "There is enough for everybody's need, but there are not enough resources for everybody's greed." So, that dictum, that philosophy can apply throughout the country.

Therefore, I congratulate the Government for associating his name with NREGA, which is a revolutionary step, Mahatma Gandhi wanted the rural India to have'amenities of life. He never wanted the rural India move towards the slums of cities. He wanted all amenities to be created for the 80 per cent population of the country. Therefore, it is the right time that the Government has associated

Mahatma Gandhi's name with this scheme. I hope, from this House and that House, a message would go to the country that we shall see the day when NREGA is implemented to the advantage of the whole nation, Thank you.

श्री सी.पी. जोशी : माननीय उपसभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ने के संबंध में इस बिल का समर्थन किया। जब मैं यह बात कहता हूं, तो यह onus हम पर है कि हम महात्मा गांधी जी के ideal को fulfil करने के लिए अपने आपको समर्पित करें। इसलिए मैं सदन के माध्यम से भारत की सारी जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम, जो भारत सरकार में हैं, वे महात्मा गांधी के ideal के अनुरूप इस एक्ट को लागू करेंगे और इस एक्ट की भावनाओं को लागू करके जनता के लिए वह सब करने का काम करेंगे, जिनके लिए हमसे आशा की गई थी। माननीय उपसभापति महोदय, इसके साथ कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनके ऊपर चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए मैं महात्मा गांधी जी के नाम के संबंध में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। इसमें consent है। माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, उनके संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, खास तौर पर हमारे माननीय सदस्य श्री प्रभात झा जी ने जो कहा, उसके बारे में मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ऐक्ट की धारा 13 से 17 तक हमने envisage किया है। इसके अनुसार इसमें जो सारा कार्यक्रम होगा, उसे लागू करने एवं उसकी मॉनिटरिंग करने का पूरा काम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा होगा। इसमें से मैं कुछ कोट भी करना चाहूंगा, जिससे यह बात साफ रहे कि यह जो 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से चुने हुए प्रतिनिधियों को यह काम करना है। इस ऐक्ट में यह प्रोवीजन भी है कि इसमें 50% काम पंचायत के चुने हुए सरपंच को करना है एवं सुपरविजन और मॉनिटरिंग का काम भी पंचायतों को ही करना है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि 2,50,000 ग्राम पंचायतों में चुने हुए सभी सरपंच किसी न किसी पार्टी के हैं। वे सब अपने-अपने ढंग से काम कर रहे हैं, इसलिए अगर हम भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय श्री शिवराज पाटिल साहब ने कहा, तो क्या इसके पीछे हमारे मन में इस योजना को बदनाम करने की मंशा तो नहीं है? हम ईमानदारी से इस योजना को लागू करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं ऐक्ट की धारा 13 को कोट करना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है, 'The Panchayats at district, intermediate and village level shall be the principal authorities of planning and implementation of the scheme made under this Act.'

अब पंचायत में पंचायत समिति, जिला परिषद के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस योजना का प्रारूप बनाएं और प्रारूप बनाकर लेबर का जो बजट जाता है, उस पर पूरा डिस्कस करने के बाद उसे सब्मिट कराएं। इसके बाद ऐक्ट के अन्दर जो शैड्यूल्ड काम दे रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन कामों के संबंध में भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐक्ट में ऐसे कौन-कौन से काम हमने envisage किए हैं, जो उन्हें करने हैं। प्राथमिकता के आधार पर हमने कहा है, 'Water conservation and water harvesting, drought proofing including tree plantation and afforestation, irrigation canals including micro and minor irrigation works, provision of irrigation facilities to nearby houses belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to the beneficiaries of land reform and the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India, renovation of traditional water bodies

including de-silting of tanks, land development, flood control and production work including drainage in water logging areas, rural connectivity and other works notified by the Central Government in consultation with the State Governments.'

हमने शैड्यूल में ये सब काम आइडेंटीफाई किए है, जिनकी चर्चा हम करना चाहते हैं। यही वे काम हैं, जिन्हें योजना बना कर पंचायत और पंचायत समिति के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने हैं। इस योजना को लागू करने का काम हमने पंचायत और पंचायत समिति के सदस्यों को सौंपा है। इसी ऐक्ट में एक प्रोवीज़न और भी किया गया है, जिसे ऐक्ट की धारा 19 में लिखा गया है, 'The State Government shall by rules determine appropriate grievances redressal mechanism at the block level and district level for dealing with any complaint by any person in respect of implementation of this scheme and lay down the procedure for disposal of complaints.'

मैं समझता हूं कि आज भारत में अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों की सरकार है, उन सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का उपयोग करके एक redressal mechanism डेवलप करें। इनमें से कोई एक स्टेट तो आइडियल बन सकती है, जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि redressal mechanism का जो तरीका अमुक राज्य की सरकार ने अपनाया है, वह सारे हिन्दुस्तान के अन्दर लागू हो सकता है।

आन्ध्र प्रदेश ने एक social audit का कार्यक्रम लागू किया, जिसे राजस्थान में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह यह खुशी की बात है कि किसी एक स्टेट ने तो कोई अच्छा काम किया है। इसी तरह redressal mechanism का काम भी अगर सब स्टेट्स करें, तो मैं समझता हूं कि करप्शन के बारे में हम जो बहुत बड़ी disproportionate बात कर रहे हैं, उसको हम address कर सकेंगे। मंत्री बनने के पश्चात् जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, उनके अनुसार अभी तक हमने कुल 1,010 complaints रिसीव की हैं और मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां हम 30,000 या 40,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां मात्र 7.32 करोड़ रुपये के गफले के बारे में ही शिकायत आई है। बाकी सब शिकायतें इस प्रकार की हैं, जैसे जॉब कार्ड नहीं मिल रहे हैं या जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और महात्मा गांधी जी का नाम रखने के पीछे हमारे मन में यही कल्पना है कि इसमें सारी पार्टियों का consent है। गांव का वह गरीब आदमी जो distress में रहता है, इससे उसे मदद मिलेगी। आप कल्पना करिए कि गांव के नौजवान आदमी को जब गांव में काम नहीं मिलता है, तब वह मजदूरी करने के लिए शहर में जाता है। कोई ठेला चलाता है और कोई मजदूरी करता है। वह अपनी पत्नी से दूर रहता है, अपने भाई से दूर रहता है, अपनी मां से दूर रहता है और केवल चार या पांच हजार रुपये कमा कर लाता है। आज कम से कम हमने इसके माध्यम से उस गरीब आदमी को भरोसा तो दिलाया है कि वह गांव में रह कर ही काम कर सकता है। Lean period के अंतर्गत हम उसे सौ दिन का काम अवश्य देंगे। इस ऐक्ट के अंतर्गत हमने इसी चीज की गारंटी देने का काम किया है और इसीलिए हमने महात्मा गांधी जी का नाम इनमें रखा है। इससे गरीब आदमी को काम मिलाने का भरोसा रहेगा। इसी तरह योजना बनाने का काम भी वही करेंगे। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि fund functionaries का काम कर सकें, यही सोच करके हमने इसे महात्मा गांधी जी का नाम दिया है। मैं समझता हूं कि जिस भावना से हम इसे आपके सामने लाए हैं, निश्चित तौर पर उस भावना को आप appriciate करेंगे।

हालांकि टाइम कम है, लेकिन दो-तीन बाते जो वृंदा जी ने कही है, मैं उनको address करना चाहता हूं। उन्होंने भीलवाड़ा के social audit की बात की है। मुझे उनकी बात सुन कर खुशी हुई, क्योंकि मैं वहीं का सांसद हूं, साथ ही भारत सरकार में मंत्री भी हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर Social Audit करवा कर हमने यह समझाने की कोशिश की है कि Social Audit का मतलब preventive measure नही होना चाहिए बल्कि corrective measure होना चाहिए।

सर, Act के अन्दर यह provision है कि social audit करने का काम पंचायत के चुने हुए सरपंच करेंगे। लेकिन, social audit कोई दूसरी NGO कर सके, इसे हमने प्राथमिकता के आधार पर लेकर जिस क्षेत्र से मैं सांसद चुन कर आया हूं, वहां पर हमने social audit का काम करवाया, जिससे भारत सरकार इसमें परिवर्तन कर सके तथा यदि इसमें कोई कमी हो, खामी हो या loop holes हो, उसे हम address कर सकें। प्रभात झा साहब ने जो 40 लाख की बात quote की वह बात सही है, लेकिन प्रभात झा साहब ने यह quote नहीं किया कि भीलवाड़ा में total जो खर्चा हुआ वह 346 करोड़ है। NREGA योजना में 346 करोड़ रुपए का एक district में भारत सरकार से मिले हैं। उसमें 40 लाख रुपए का एक घपला नजर आया है। निश्चित तौर पर 40 लाख भी address करने की आवश्यकता है, लेकिन 346 करोड़ से 40 लाख का मुकाबला करें और 30 हजार करोड़ का मुकाबला करें, तो मैं समझता हूं कि जैसा पाटिल साहब ने कहा, हमें गम्भीरता से इस योजना को बदनामी से बचाने की आवश्यकता है। कैसे हम इस योजना को ठीक ढंग से लागू करें, यह काम करने की आवश्यकता है।

माननीय महोदय, मैं दो-तीन बातें जरूर कहना चाहता हूं। वृंदा जी ने जो बात कही कि ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, ...(**व्यवधान**)... एक जगह पर 346 करोड़ नही हो सकता ...(**व्यवधान**)...

SHRI C.P. JOSHI : I am saying Rs. 346 crores. ...(**व्यवधान**)... जी, मैं जो कह रहा हूं, वह बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT : Sir, it cannot be Rs. 346 crores ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: I am saying Rs. 346 crores. ...*(Interruptions)*... मैं कोई विवादित बात नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... Please, let me say, ...*(Interruptions)*... आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। I am saying this as Minister that ih Bhilwara district Rs. 346 has been spent.

SHRIMATI BRINDA KARAT : During which period? ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI : In one year. ...*(Interruptions)*... You go to Banswara, you go to Dungarpur. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, ...(**व्यवधान**)...

श्री सी.पी. जोशी : क्या आप सुनेंगे? ...(**व्यवधान**)... Are you aware of how much money we had spent? ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, ...(**व्यवधान**)... इसका मतलब यह हुआ कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप इनको सुनिए न? ...**(व्यवधान)**... एक मिनिस्टर अपनी बात बोल रहे हैं। उनको बीच में रोक रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... उनके पास authentic figure रहता है या आपके पास रहता है? ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय कुमार रूपाणी (उड़ीसा) : सर, ...**(व्यवधान)**... यह 346 करोड़ नहीं होगा, सर ...**(व्यवधान)**... इस figure में गड़बड़ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सी.पी. जोशी : अच्छा। आप इसको correct कर लीजिएगा ...**(व्यवधान)**... आपको अधिकार है न? ...**(व्यवधान)**... I am holding the portfolio and the floor. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : यह यहां इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। ...**(व्यवधान)**... यह इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। ...**(व्यवधान)**... यह मंत्री हैं। यह figure दे रहे हैं। अगर वह गलत है, तब बताइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, ...**(व्यवधान)**... अगर वहां 346 करोड़ हो गया, तो सारा पैसा भारत सरकार का ...**(व्यवधान)**...

श्री सी.पी. जोशी : पाणि साहब, आप विराजिए। ...**(व्यवधान)**... आप विराजिए। मैं बताता हूं आपको। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पाणि जी, आप बैठिए न? ...**(व्यवधान)**...

श्री सी.पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड) : सर, 346 करोड़ में संशय इसलिए पैदा हो रहा है, संदेह इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में 600 जिले हैं। इन 600 जिलों में NREGA लागू नहीं हुआ। जितने जिलों में यह लागू हुआ वहां पर minimum और maximum amount के कुछ parameters हैं क्या? अगर यह है, तो यह सबसे ज्यादा किस जिले में apply हुआ है और किसमें नहीं हुआ है? यह जरा सदस्यों को बता दें तो यह संशय दूर हो जाएगा।

श्री सी.पी. जोशी : हमारे माननीय सदस्य जब सदन में चर्चा करते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है। सही बात भी सुनना चाहिए। मैं मंत्री साहब के हिसाब से जवाब दे रहा हूं। It is a demand-driven scheme. जिस demand-driven scheme के अंतर्गत यह है, उसमें वहां पर काम मांगने वाले जितने आदमी आते हैं, उनको काम देते हैं। आज आप राजस्थान का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और बाड़मेर, these are the four districts where we are giving money to the tune of Rs. 300-400 crores. But, there are districts like Ganganagar and Alwar where there is no demand. We are not giving money. So, you have to appreciate this thing. Sir, it is a demand-driven scheme. जहां पर, जिस जिले में जितनी demand आएगी, वहां job cards बने हुए हैं और लोग काम करने वाले हैं, उतने आदमियों को हम काम देंगे। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं, ऐसा आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... Let me complete my reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete the reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI; Sir, I will reply to every query. ...*(Interruptions)*... I am very happy that Brindaji is very particular about this. May I refer to Section 29 of the Act? I will quote Section 29. It says, "If the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient to do, it may, by notification, amend Schedule I or Schedule II and, thereupon, Schedule I or Schedule II, as the case may be, shall be deemed to have been amended accordingly."

SHRIMATI BRINDA KARAT: I know that.

SHRI C.P. JOSHI: You are aware about this. You are one of the supporters of this Act. And, Schedule I and II need not come before Parliament. But, today, you are saying that it should be brought before Parliament.

SHRIMATI BRINDA KARAT: You have made sweeping changes.

SHRI C.P. JOSHI: We have not made any sweeping changes. ...*(Interruptions)*...Let me complete it. Madam has said कि महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनको time-bound नहीं देते ...**(व्यवधान)**... Madam, please have patience. You listen to my reply.

Now, let me come to Kerala. Section 6 says like this. Let us be clear about it. Section 6 says, "Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government may, by notification, specify the wage rate for the purpose of this Act provided that the different rates of wages may be specified for different areas. Provided further that the wage rates specified from time to time under any such notification shall not be the rate (a) less than Rs.60/- per day (b) until such time as the wage rate is fixed by the Central Government in respect of any area in a State, the minimum wage fixed by the State Government under section 3 of the Minimum Wages Act 1948 for agricultural labourers shall be considered as the wage rate applicable to the area."

माननीय सदस्य महोदया, केरल में 125 रुपए notified wage effective from 1st Jaunary, 2009 से पहले है। हमने इस एक्ट के अंतर्गत कहा है कि यह एक्ट लागू होने के समय जिस स्टेट का जितना minimum wage है, केरल में जब यह 125 रुपये था, तब पूरे भारत को हमने 60 रुपये दिये। पंजाब को हमने 140 रुपऐ दिये। आज हम दूसरे स्टेट्स को 100 रुपये दे रहे हैं और केरल को हम 125 रुपए उस समय से दे रहे हैं, जब और सब स्टेट्स को 60 रुपये दे रहे हैं। केरल ने उसके बाद wage rate को revise नही किया है। यह बात समझने की आवश्यकता है। ...**(व्यवधान)**...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, I have to seek one clarification. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I cannot understand ...*(Interruptions)*... What is wrong with this Minister?

SHRI C.P. JOSHI: Sir, you may raise. ...*(Interruptions)*... I am telling you. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? See, you cannot get a reply ...*(Interruptions)*...

श्री सी.पी. जोशी : आप सदन को यह बात तो बताइए कि जब यह एक्ट लागू हुआ तो उस समय केरल में यह रेट 125 रुपये थी। जब हम सारे हिन्दुस्तान को 60 रुपए दे रहे थे, तब हम केरल को 125 रुपए दे रहे थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Let him complete. ...*(Interruptions)*... He will not be able to complete. ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIEN: Sir, there is a doubt. There is also a campaign going on in Kerala that by the new notification the Central Government will give only Rs.100/- to NREGA workers in Kerala, whereas, today, the Central Government is giving Rs.125/-, which is the minimum wages. I want the hon. Minister to specifically clarify. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has clarified now.

PROF. P.J. KURIEN: ...whether Rs.125/- which is being given there as minimum wages will continue for NREGA workers hereafter. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I understand is, he has said that.

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, आज नही बल्कि जब तक दूसरे states को 100 रुपए मिलेंगे, तब भी केरल में 125 रुपए ही मिलेंगे और पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देगी। यह कानून का part है। इसे बदलने की आवश्यकता कहां पड़ गई? मैं समझता हूं कि आपके मन में यह confusion है। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I do not know why the Minister is being confrontationist about this. We are not coming into any quarrel. This is our Act. There is no question of confrontation. We have asked for certain clarifications'pointing out where the contradictions lie. I do not know why the Minister is in confrontationist mood. I am, really, sorry about it. It spoils the entire spirit of this discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us understand ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, if this is the way they want to conduct a discussion; okay, we are prepared to ...*(Interruptions)*... What is this way? ...*(Interruptions)*... What is this? ...*(Interruptions)*... यह इनका क्या तरीका है? ...**(व्यवधान)**... समझ में नहीं आ रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute Brindaji. ...*(Interruptions)*... I am saying something, Dr. Keshava Rao. What I have understood is this. The Minister has said that whatever may be the rate but the minimum wages of that State is being given. In Kerala, he said, the minimum wage is Rs.125/-. ...*(Interruptions)*... If the minimum wage is Rs.125/-, they are giving Rs.125/-. Now you are saying that the minimum wage is more. But if it is Rs.125/-, then he is right.

SHRI C.P. JOSHI : Madam, I am sorry, I am not confronting; let me say very frankly. जब यह एक्ट लागू हुआ तब केरल में 125 रुपए था। उस समय जिस स्टेट में जितना था, इस एक्ट में उतना दिया गया। बाकी जगह हम 60-70 रुपए भी दे रहे थे। अब हमने दूसरी बार इसमें 100 रुपए का revision किया। हम यह कह रहे हैं कि एक्ट लागू होने से केरल मे जो 125 मिल रहा है, वह अभी भी मिलेगा और यह पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देगी। इसमें क्या confusion है? What else do you want?

श्री उपसभापति : अब आप उस बात को देखिए।...(व्यवधान)...

SHRI C.P. JOSHI: You want to create a confusion. We do not want to create a confusion. माननीय उपसभापति महोदय, एक बात जो माननीय ...(**व्यवधान**)... Let me complete it. I have not yielded. ...*(Interruptions)*... This is not the way to ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can he complete the reply? ...*(Interruptions)*... Mr. Vijayaraghavan, first let him complete, then I will allow you; but. ...*(Interruptions)*...

DR. C.P. THAKUR: Sir, he has completed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; he has not completed. ...*(Interruptions)*... Thakur Sahib, he has not completed. ...*(Interruptions)*...

DR. C.P. THAKUR: Sir, I have a point of information. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: Let me complete it. ...*(Interruptions)*... उपसभापति जी, वृंदा कारत जी ने एक बात कही कि यह जो 100 रुपए का real wage है, उसके संबंध में आपने भी कहा, उसके संबंध में विभाग ने यह निर्णय लिया है कि NREGA के लिए अलग से index बनना चाहिए। हम लोग इस बात से सहमत हैं, आपने सभी विभागों को लिखा है कि NREGA के Act के अंतर्गत हम जो 100 रुपए दे रहे हैं, इसका index अलग बनना चाहिए और इसका price index से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक नया index बने, जिससे लोगों के साथ न्याय हो सके। इसलिए इस पर हमने decision ले लिया है और हम पूरा आशा रखते हैं कि इसके संबंध में कुछ निर्णय होगा, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I want to seek only one clarification from the hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: On 3rd December, 2009, we have already notified it. We have informed the State Government. They will get hundred rupees. It is more than this. Then, whatever was fixed on the first term, it will be given. Now, we have said that every State Government जो हमसे demand करेगी, हम उसे 100 रुपए देंगे और एक अप्रैल, 2009 से हमने कहा है कि इस तारीख से सभी स्टेट्स में 100 रुपए तक की wages हम उनको देंगे, जो काम मांगेंगे, यह मैं घोषणा करता हूं। मैं एक आखिरी घोषणा और करना चाहता हूं कि यह जो आपने केरल में कोकोनट के मामले के सबंध में बताया, हम इस बात पर बिल्कुल redress कर रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट्स में जो variation है, उनके शैड्यूल में काम को इस तरह से बढ़ाया जाए, ताकि वहां पर उनके कामों को मौका मिल सके, लोगों को मजदूरी मिल सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसको भी हम redress कर रहे हैं।

उपसभापति जी, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं confront नहीं करना चाहता हूं, आप बाहर confront करते हैं, मैं अंदर confront करता हूं, दोनों का attitude एक ही है, मन में चिंता रखने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर महात्मा गांधी जी की आशा के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ पहुचाने का काम कर सकें, यह अपील मैं आप सबके माध्यम से जनता से करना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : बिहार का minimum wage कितना है, यह बता दीजिए।

श्री तारिक अनवर : उपसभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसको समान रूप से पूरे देश में क्यों नही लागू करते हैं? आप केरल में 125 रुपए देंगे और बिहार में 60 रुपऐ देंगे, यह कौन सा तरीका है?

श्री उपसभापति : बिहार में minimum wages कम है ...**(व्यवधान)**...

श्री सी.पी. जोशी : Minimum wages सारे हिंदुस्तान में अलग-अलग हैं।

श्री तारिक अनवर : आप कानून बनाइए, कानून में संशोधन करिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : हर स्टेट के minimum wages लिखे गए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर : बिहार का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का मजदूर क्यों suffer करेगा?

श्री सी.पी. जोशी : उपसभापति जी, बिहार ने 100 रुपए मांगे हैं और 100 रुपए minimum wages देने की सहमति हमने दी है ...**(व्यवधान)**...

DR. C.P. THAKUR : ... for the whole Bihar and Rs. 346 crore for one district. There is great disparity. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is demand-driven. He is saying, it is demand-driven. ...*(Interruptions)*...

SHRI C.P. JOSHI: You know how much money we are giving to Madhya Pradesh, how much money we are giving to ...*(Interruptions)*... how much money we are giving to Rajasthan. It depends upon the demand of the people. If they are demanding more, we are giving more money. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती वृंदा कारत : उपसभापति जी, मैंने एक सवाल schedule of rates के बारे में उठाया और विशेषकर महिलाएं जो काम करती हैं, उसके बारे में उठाया, इसके बावजूद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह किया है, फिर भी चूंकि nature of work लगभग एक ही है, soil की differentiation अलग-अलग है, लेकिन बहुत जगहों पर common है। मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगी कि महिलाएं जो काम करती हैं, उसके schedule of rates के बारे में आप सेंटर की तरफ से एक स्टडी करके स्वयं देखें कि वे जो काम करती हैं और जो वेतन पाती हैं, उसमें कितना बड़ा गैप है। अगर आप यह आश्वासन दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री सी.पी. जोशी : उपसभापति जी, हम निश्चित तौर पर इसकी स्टडी करवाएंगे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे सामने unorganized sector की एक रिपोर्ट है, अर्जुन कुमार सेनगुप्त हमारे ही सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में यह रिपोर्ट बनी थी। इसके माध्यम से हमें पता लगता है कि unorganized sector में, rural areas में लोगों की income क्या है और उनकी संख्या क्या है। अब Employment Exchange में तो आपको पढ़े-लिखे लोगों के job cards के बारे में या Employment Exchange के नंबर के बारे में पता लगता है, लेकिन जो unorganized sector के unskilled और अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में पता लगाना असंभव होता है, इस पर आप कहते हैं कि यह demand-driven scheme है। उससे ज्यादा के जॉब कार्ड बने। यह आपके सीएजी ने लिखा है कि वहां जनसंख्या से ज्यादा जॉब कार्ड बने। उस जॉब कार्ड के बेसिस पर demand-driven scheme का पैसा ले लिया जाए, तो इसमें जो लूप होल्स हैं, इनको रोकने के लिए और specially "नरेगा" के लिए मिनिमम वेज एक्ट पास कराने के लिए कोई पहल कर रहे हैं?

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि demand-driven और जॉब कार्ड में अंतर है। अभी हिन्दुस्तान में 15 करोड़ जॉब कार्ड बने हुए हैं और काम करने वालों की संख्या 4.7 करोड़ है, इसलिए जॉब कार्ड का संबंध इससे नहीं है। जो demand-driven होता है, वह उस समय दिसंबर के महीने में पंचायत के सरपंच और उन सबके साथ मिल कर चर्चा करने के बाद लेबर कंपोनेंट देखते हैं। इन दोनों के बीच में gap है, don't confuse with this. मैं समझता हूं कि आपकी बात का सीधा संबंध यही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to amend the National Rural Employment Guarantee Act, 2005, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI C.P. JOSHI: Sir, I move: That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2009.

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2009

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Sir, I move:

That the Bill to make special provisions for the National Capital Territory of Delhi for a further period up to 31st day of December, 2010, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, if he just reads out the memorandum, the contents of the Bill, we would pass it without discussion.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Thank you very much, I must thank all sections of the House, particularly, all sections of the Opposition, for the unstinted support in this area.

Sir, I shall briefly refer to the features. In order to address the issues such as problems of encroachment on public land, growth of slums, inadequacy of housing stock, unauthorized construction, commercialization of residential areas, etc. in Delhi and keeping in view several directions and orders passed by the Supreme Court and High Court of Delhi which were affecting the lives of millions of people in the city, The Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 was enacted for a year on 19th May, 2006.